वार्षिक रिपोर्ट | 2015-16

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

वार्षिक रिपोर्ट
2015-16

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर-24, नौएडा-201 301 (उ.प्र.)

प्रकाशकः वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा-201 301, उ.प्र.

प्रतियों की संख्याः 150

यह रिपोर्ट संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in से
डाउनलोड की जा सकती है।

मुद्रण स्थानः चन्दू प्रेस, डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110 092

विषय–सूची

- **प्रमुख उपलब्धियाँ** 1
- **विज़न और मिशन** 7
- **उद्देश्य और अधिदेश** 8
- **संरचना** 9
- **अनुसंधान** 13
  - श्रम बाजार अध्ययन केंद्र 14
  - रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र 17
  - कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केंद्र 18
  - राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र 24
  - एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम 26
  - श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र 33
  - लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र 34
  - पूर्वोत्तर केंद्र 38
- **प्रशिक्षण और शिक्षा** 42
- **एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र** 59
- **राजभाषा नीति का कार्यान्वयन** 61
- **प्रकाशन** 63
- **फैकल्टी एवं अधिकारियों की सूची** 67
- **लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा 2015–16** 68

प्रमुख उपलब्धियाँ
2015–16

- **वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम एवं संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन एवं परामर्श कार्य करने वाला एक अग्रणी संस्थान है**। 1974 में स्थापित यह संस्थान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान का **पुनःनामकरण 1995 में, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता श्री वी. वी. गिरि के नाम पर किया गया।**
- **एक विश्वस्तरीय प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में उभरना:** संस्थान ने विश्व स्तर के एक प्रतिष्ठित संस्थान और कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य–संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध श्रम अनुसंधान एवं शिक्षा में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरने के प्रयासों को जारी रखा।
- **नीति–निर्माण के लिए ज्ञान का आधार** : संस्थान ने 23 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी कीं जिन्होंने रोजगार, कौशल विकास, बाल श्रम, अनौपचारिक सैक्टर, प्रवासन, सामाजिक सुरक्षा, लिंगीय मुद्दे, स्वास्थ्य तथा श्रम एवं श्रम मुद्दे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीति–निर्माण के लिए आवश्यक ज्ञान आधार प्रदान किया।
- **सामाजिक भागीदारों को परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना:** भारत अभी कार्य की दुनिया में तीव्र परिवर्तनों का सामना कर रहा है, जिससे उसे अवसरों के साथ–साथ चुनौतियां भी मिल रही हैं। संस्थान ने 126 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें श्रम प्रशासकों, औद्योगिक संबंध प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं अनुसंधानकर्ताओं जैसे प्रमुख हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3656 प्रतिभागियों ने परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से अपने कौशलों एवं क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भाग लिया।
  - ✓ संस्थान ने केंद्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों के लिए लगभग 03 महीने एवं 06 हफ्ते के आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय (केंद्रीय) के फील्ड/क्षेत्रीय कार्यालयों के नव पदोन्नत कार्यालय अधीक्षकों के 02 हफ्ते का आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के लिए श्रम कानून प्रवर्तन पर 02 हफ्ते का आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
  - ✓ संस्थान ने ऑयल इंडिया लिमिटेड, असम; नेवल आर्मामेंट डिपो, विशाखापत्तनम; भारतीय रिजर्व बैक तथा एनटीपीसी लिमिटेड, तलचर, ओडिशा के लिए भी 18 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।
  - ✓ संस्थान ने प्रवासी कामगारों, खासकर महिला कामगारों का कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से एक नया कार्यक्रम 'निर्माण कामगारों के लिए कौशल विकास का संवर्धन' आयोजित किया।

- **असंगठित कामगारों को सशक्त बनानाः** संस्थान ने 48 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें असंगठित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 1484 नेताओं/प्रशिक्षकों ने भाग लिया। ऐसे प्रशिक्षण हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य श्रम बाजार में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करना, तथा यह दिखाना था कि कैसे सशक्तिकरण सामाजिक समावेशन का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है।

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र की चिंताओं के समाधान के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षणः** संस्थान ने 13 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सामाजिक भागीदारों के लिए किया। संस्थान ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दो सेमिनार आयोजित किए:

  ✓ मणिपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के सहयोग से कोर्ट हॉल, मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल में 22–23 दिसम्बर 2015 के दौरान **'शून्य बेरोजगारी के लिए युवाओं का कौशल विकास'** पर राष्ट्रीय सेमिनार।

  ✓ भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र, शिलॉन्ग के सहयोग से नेहू परिसर, शिलॉन्ग में 26 – 27 मार्च 2016 के दौरान **'पूर्वोत्तर भारत में युवा एवं कौशल विकास'** पर एक राष्ट्रीय सेमिनार।

- **श्रम के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का हब (केंद्र):** संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के आईटीईसी/एससीएएपी के अंतर्गत एक प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर सूचीबद्ध है। संस्थान ने स्वास्थ्य मुद्दे, श्रम प्रशासन और रोजगार संबंध, नेतृत्व विकास, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, श्रम में लिंगीय मुद्दे तथा श्रम अध्ययनों में अनुसंधान विधियाँ जैसे प्रमुख विषयों पर 07 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें लगभग 46 देशों के 134 वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

- **व्यावसायिक भागीदारी करना एवं उसे सुदृढ़ बनानाः** आज का युग नेटवर्किंग का युग है। संस्थान ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था बनाते हुए व्यासायिक नेटवर्किंग को स्थापित करने एवं उसे सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा। संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी), ट्यूरिन, इटली के साथ सहयोग स्थापित किया है। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का मूल उद्देश्य सभी के

लिए उत्तम कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों में दोनों संस्थानों में सहयोग बढ़ाना है।

✓ वीवीजीएनएलआई के साथ भावी सहयोगात्मक गतिविधियों की संभावनाओं को तलाशने के लिए माननीय श्रम और मानव संसाधन मंत्री, भूटान के नेतृत्व में भूटान सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने 23 दिसम्बर 2015 को संस्थान का दौरा किया।

- **नीतिगत मुद्दों पर गहन बहस करने एवं प्रमुख पहलों के प्रसार हेतु मंचः**

✓ केंद्र एवं राज्य सरकारों के उन अधिकारियों, जो न्यूनतम मजदूरी के नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं, के लिए संस्थान एवं आईएलओ ने संयुक्त रूप से 15–16 अप्रैल 2015 के दौरान एक क्षमता निर्माण कार्यशाला 'भारत में अधिक प्रभावी मजूदरी नीतियों की दिशा में' का आयोजन किया।

✓ 27–30 अप्रैल 2015 के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकारों के श्रम प्रशासकों, नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों एवं ट्रेड यूनियनों के लिए 'श्रम प्रशासकों के लिए श्रम विवादों के सुलह' पर एक त्रि–पक्षीय कार्यशाला आईएलओ के सहयोग से की गई। यह कार्यशाला केंद्र और राज्य सरकारों के उन अधिकारियों, जिन्हें सुलह के कर्तव्य एवं शक्तियां दी गई हैं, नियोक्ता संगठनों एवं ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के लिए तैयार की गई थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य श्रम प्रशासन के सुलहकारी कौशलों में सुधार करना था।

✓ बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस के उपलक्ष्य में 12 जून 2015 को आईएलओ के कार्यालय में 'भारत में बाल श्रम के समाधान के लिए शैक्षिक कार्यनीतियों की तलाश' पर एक तकनीकी परामर्श आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों, शिक्षाविदों, श्रम प्रवर्तन अधिकारियों, परामर्शदाताओं तथा श्रम सुधारों पर काम करने वाले संस्थानों, मीडिया एवं देश के विभिन्न भागों से बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

✓ 'बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम में संशोधन के सकारात्मक पहलुओं को समझना' पर मीडिया/शिक्षाविदों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन संस्थान द्वारा 03 जुलाई 2015 को श्रम और रोजगार मंत्रालय में किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य संसद में रखे जाने वाले बाल श्रम विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के विभिन्न पहलुओं एवं आयामों पर चर्चा करना था। इस कार्यशाला में श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों, शिक्षाविदों, श्रम प्रवर्तन अधिकारियों, परामर्शदाताओं तथा श्रम सुधारों

पर काम करने वाले संस्थानों, मीडिया एवं देश के विभिन्न भागों से बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

- ✓ जिला गौतम बुद्ध नगर पर विशेष जोर के साथ 'बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारः वास्तविकता एवं अनुक्रिया' पर एक कार्यशाला का आयोजन बाल संरक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश तथा सोशल एंड डेव्लपमेंट रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप (एसएडीआरएजी) के सहयोग से 07 अगस्त 2015 को किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को बाल श्रम कानूनों, बाल कल्याण के प्रावधानों एवं सेवाओं पर संवेदनशील बनाना एवं उनसे परिचित कराना था। इस कार्यशाला में जिला गौतम बुद्ध नगर के अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों ने भाग लिया।

- ✓ श्रम और रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आईएलओ के सहयोग से 'श्रम बाजार, श्रम कानून एवं श्रम सुधार' पर एक तकनीकी चर्चा का आयोजन 25 अगस्त 2015 को किया गया। इस बैठक में प्रमुख श्रम बाजार प्रवृत्तियों एवं श्रम सुधारों पर इनके प्रभावों पर फोकस किया गया और भारत सहित विभिन्न देशों में शुरु किए गए श्रम सुधारों पर भी चर्चा की गयी।

- ✓ 'भारत में बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए कारगर कार्यनीतियां एवं तकनीक विकसित करनाः बहु–हितधारकों के अनुभवों को साझा करना' पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन यूनिसेफ के सहयोग से 29–30 सितम्बर, 2015 को किया गया। इस परामर्श में चार विषयों बाल श्रम की रोकथाम, पहचान, बचाव, पुनर्वास/पुनःएकीकरण तथा पुनःएकीकरण के बाद पर फोकस किया गया।

- ✓ 'श्रम बाजार, कौशल एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन' पर एक तकनीकी चर्चा का आयोजन आईएलओ, ईयू एवं वीवीजीएनएलआई द्वारा संयुक्त रूप से 19 नवम्बर 2015 को किया गया।

- ✓ श्रम और रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 'सामाजिक संरक्षण मंजिल' पर एक कार्यशाला का आयोजन श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ 10 दिसम्बर 2015 को किया गया।

- ✓ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ 'मेटामोर्फजेज' (आईसीएएसः एमपी) और एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस (एआईएलएच) के सहयोग से 'क्रोनोलोजीज़ ऑफ लेबरः अ ग्लोबल पर्सपेक्टिब' पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 22–23 जनवरी 2016 को किया गया। इस कार्यशाला में 40 ख्यातिप्राप्त इतिहासकारों ने भाग लिया, उन्होंने लंबी बीसवीं शताब्दी में एक राजनैतिक श्रेणी के तौर पर 'श्रम' की अस्थायी गतिशीलता पर चर्चा की।
- ✓ प्रशिक्षण मॉड्यूल की विषय–सामग्री को अंतिम रूप देने के लिए वीवीजीएनएलआई–यूनिसेफ की सहयोगात्मक परियोजना के एक भाग के तौर पर 'भारत में बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए कारगर कार्यनीतियां एवं तकनीक विकसित करना' पर एक कार्यशाला/बैठक का आयोजन 25–26 फरवरी 2016 को किया गया। इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए परियोजना वाले राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से पहले मॉड्यूल की विषय–सामग्री को अंतिम रूप देने हेतु विभिन्न सहयोगी विभागों/संस्थानों/संगठनों के प्रैक्टीशनरों/प्रशिक्षकों से सुझाव प्राप्त करना था। इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों एवं नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से कार्यक्रम अधिकारियों, निदेशकों, राज्य समन्वयकर्ताओं, अध्यक्षों, सहायक श्रम आयुक्तों, बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षकों, बाल संरक्षण विशेषज्ञों और शिक्षा विशेषज्ञों ने भाग लिया।

- ✓ 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न' पर 29 फरवरी 2016 को एक संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य कार्यस्थल पर भेदभाव एवं उत्पीड़न के बारे में संस्थान के कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना था। इसमें संस्थान के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया।

- ✓ एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस के सहयोग से 'श्रम इतिहास' पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 21–23 मार्च 2016 को किया गया। इस सम्मेलन का व्यापक विषय था – ''वर्कर्स, लेबर एंड मीडिएशन''

- **श्रम मुद्दों से संबंधित सूचना एवं विश्लेषण का प्रसार** : संस्थान चार आंतरिक प्रकाशन, लेबर एंड डेवलपमेंट (छमाही पत्रिका), अवार्ड्स डाइजेस्ट (द्विमासिक पत्रिका), श्रम विधान (द्विमासिक हिंदी पत्रिका) और वीवीजीएनएलआई इंद्रधनुष (द्विमासिक पत्रिका) निकालता है। संस्थान के अनुसंधान निष्कर्षों को मुख्यतः एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। संस्थान ने वर्ष 2015–16 में 39 प्रकाशन निकाले।

  - ✓ संस्थान ने इस वर्ष 'भारतीय श्रम पुस्तिका' के नाम से एक प्रमुख प्रकाशन निकाला। इस प्रकाशन में भारतीय श्रम परिदृश्य के प्रमुख आयामों से संबंधित बुनियादी जानकारी को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य संगत सूचना को एक सरल सुबोध तरीके में प्रदान करना है ताकि यह समाज के व्यापक वर्ग की पहुंच में हो।

  - ✓ संस्थान ने इस वर्ष एक महत्वपूर्ण अनुसंधान अध्ययन 'भारत से खाड़ी क्षेत्र कोः श्रम बाजार, कौशलों एवं प्रवासन चक्र के बीच संबंधों की खोज करना' का प्रकाशन भी किया। यह अनुसंधान अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सौंपा गया था। इस रिपोर्ट में भारतीय कामगारों के एक प्रमुख गंतव्य स्थान – खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों को भारत से श्रमिकों के प्रवासन के संदर्भ में श्रम बाजार की विशेषताओं, कौशल विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवाह के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है।

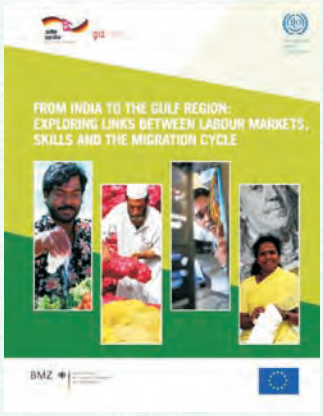

- **पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालीः** संस्थान का पुस्तकालय, एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र, देश में श्रम अध्ययनों के क्षेत्र में सबसे सम्पन्न पुस्तकालय है। वर्तमान में, पुस्तकालय में लगभग 65,000 किताबें/रिपोर्टें/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं हैं, तथा यह 193 व्यावसायिक पत्रिकाओं का अभिदान करता है। पुस्तकालय अपने पाठकों को विभिन्न व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा पुस्तकालय की प्रयोज्यता सुकर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद भी उपलब्ध कराता है।

- **आधुनिक भारत को आकार देने में श्रम की भूमिका पर प्रकाश डालनाः** संस्थान ने श्रम से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेजों के शीर्ष भंडार के तौर पर काम करने हेतु श्रम पर एक डिजिटल आर्काइव स्थापित किया है। इसमें श्रम इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लेबर आर्काइव की वेबसाइट (www.indialabourarchives.org) में अपलोड किये हुए लगभग 180000 पेज डिजिटल रूप में हैं।

संस्थान का विज़न और मिशन

विज़न

संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केन्द्र हो तथा कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प हो।

मिशन

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केन्द्र के रूप में स्थापित करना है:–

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना, और
- ऐसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण और साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।

संस्थान का अधिदेश

जुलाई 1974 में स्थापित, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), श्रम अनुसंधान और शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। संस्थान ने आरंभ से ही अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशन के माध्यम से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विविध समूहों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के केन्द्र में शैक्षिक अंतर्दृष्टि और समझ को नीति निर्माण और कार्रवाई में शामिल करना रहा है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम को न्यायोचित स्थान मिल सके।

उद्देश्य और अधिदेश

संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के अधिदेश में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:–

(i) स्वयं अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वयन करना;

(ii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता करना;

(iii) निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना

- क. शिक्षा, प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण
- ख. अनुसंधान, जिसमें क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है
- ग. परामर्श और
- घ. प्रकाशन और अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों

(iv) श्रम तथा संबद्ध कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना और उपचारी उपाय सुझाना

(v) लेख, पत्र–पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण और प्रकाशन करना

(vi) पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएं स्थापित एवं अनुरक्षित करना

(vii) समान उद्देश्य वाली भारतीय और विदेशी संस्थाओं और अभिकरणों के साथ सहयोग करना, और

(viii) फेलोशिप, पुरस्कार और वृत्तिकाएं प्रदान करना।

संस्थान की संरचना

संस्थान एक महापरिषद् द्वारा शासित है, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसमें सांसदों, केन्द्र सरकार, नियोक्ता संगठनों, कर्मकार संगठनों के प्रतिनिधि और श्रम के क्षेत्र में तथा अनुसंधान संस्थानों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले ख्यातिप्राप्त व्यक्ति शामिल हैं। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री महापरिषद् के अध्यक्ष हैं। यह संस्थान के कार्यकलापों के लिए विस्तृत नीति संबंधी मानक निर्धारित करती है। महापरिषद् के सदस्यों के बीच से गठित कार्यपरिषद्, जिसके अध्यक्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव होते हैं, संस्थान के कार्यकलापों को नियंत्रित, मॉनीटर एवं निर्देशित करती है। संस्थान के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसके कार्यों के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। संस्थान के दिन प्रतिदिन के कामकाज में विविध विषयों में पारंगत संकाय सदस्य और प्रशासनिक स्टाफ महानिदेशक की सहायता करते हैं।

महापरिषद् का गठन

1. श्री बंडारू दत्तात्रेय — अध्यक्ष
   श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
   (स्वतंत्र प्रभार)
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली–110001

केन्द्र सरकार के छः प्रतिनिधि

2. श्री शंकर अग्रवाल — उपाध्यक्ष
   सचिव (श्रम एवं रोजगार)
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली

3. श्री हीरा लाल सामरिया — सदस्य
   अपर सचिव
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली

4. श्री जी. वेणुगोपाल रेड्डी — सदस्य
संयुक्त सचिव
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली–110001

5. सुश्री मीनाक्षी गुप्ता — सदस्य
संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

6. श्री सत्यनारायण मोहंती — सदस्य
सचिव
माध्यमिक एवं उच्चत्तर शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

7. श्रीमती सुनीता सांघी — सदस्य
सलाहकार (स्किल इएंडएमयू)
नीति आयोग
नई दिल्ली–110001

कर्मकारों के दो प्रतिनिधि

8. श्री बी. सुरेन्द्रन — सदस्य
अखिल भारतीय उप–आयोजन सचिव,
भारतीय मजदूर संघ,
केशावर कुदिल,
5 रंगासायी स्ट्रीट
पेराम्बूर, चेन्नई–600011

9. डॉ. जी. संजीव रेड्डी, भूतपूर्व सांसद — सदस्य
अध्यक्ष – इंटक
गली नं. 14, मकान नं. 658
जीएचएमसी, बर्कतपुरा
हैदराबाद – 500027 (आं. प्र.)

नियोक्ताओं के दो प्रतिनिधि

10. श्री राजीव कपूर — सदस्य
भारतीय उद्योग परिसंघ
चीफ पीपल ऑफिसर
फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड
कारपोरेट कार्यालय, तृतीय तल
टॉवर ए, यूनिटेक बिजिनेस पार्क
ब्लॉक –एफ, साउथ सिटी –1, सैक्टर – 41
गुड़गाँव – 121001 (हरियाणा)

11. श्री जितेंद्र गुप्ता — सदस्य
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
लघु उद्योग भारती (एलयूबी)
181, पीताम्बर अपार्टमेंट
रचना नगर
भोपाल – 462023

चार प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने श्रम के क्षेत्र में अथवा उससे संबंधित क्षेत्रों में असाधारण सहयोग किया है

12. श्री वीरेंद्र कुमार — सदस्य
भारतीय मजदूर संघ का कार्यालय
चौधरी देवीलाल कॉम्पलेक्स
माल रोड़, पानीपत (हरियाणा)

13. श्री अरुण वशिष्ठ — सदस्य
एल – 242, शास्त्री नगर
मेरठ (उ. प्र.)

14. डॉ. टी. राजेश्वर राव — सदस्य
मकान नं. 7–1–44
बालासमुद्रम
हनुमाकोंडा
वारेंगल जिला
तेलंगाना – 506001

15. श्री टी. कृष्णमूर्ति — सदस्य
राज्य अध्यक्ष
भारतीय जनता मजदूर मोर्चा
तेलंगाना राज्य
1–2756/74, डोमालगुडा
हैदराबाद – 500029

दो संसद सदस्य (लोक सभा और राज्य सभा से एक–एक)

16. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल — सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा)
14, डॉ. बी. डी. मार्ग
नई दिल्ली–110001

17. श्री भूषण लाल जांग्डे — सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा)
फ्लैट सं. 201, स्वर्णजयंती सदन
डॉ. बी. डी. मार्ग
नई दिल्ली–110001

अनुसंधान संस्थान

18. श्री संजय प्रसाद, भा.प्र.से. — सदस्य
महानिदेशक,
महात्मा गांधी श्रम संस्थान
ड्राइव.इन रोड़, मेम नगर
अहमदाबाद–380062 (गुजरात)

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नौएडा के प्रतिनिधि

19. श्री मनीष कुमार गुप्ता — सदस्य–सचिव
महानिदेशक,
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा–201301
जिला–गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

अनुसंधान

संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान का प्रमुख स्थान है। संस्थान आरंभ से ही अनुसंधान कार्यों में सक्रिय रूप से लगा रहा है, जिसमें श्रम से जुड़े मुद्दों के विभिन्न आयामों पर क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है। परन्तु इन कार्यकलापों के केंद्र में सदैव ही ऐसे मुद्दे रहे हैं, जो सीमान्त, वंचित और श्रम बल के संवेदनशील वर्गों से संबंधित हैं।

संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों के मुख्य उद्देश्यों को तीन व्यापक स्तरों पर रखा जा सकता है;

- अनुसंधान किए जा रहे मामलों की सैद्धान्तिक समझ को उन्नत बनाना;
- समुचित नीतिगत प्रतिक्रियाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक और आनुभविक आधार बनाना; और
- क्षेत्र स्तरीय कार्यों/हस्तक्षेपों की खोज करना, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रम बल के असंगठित वर्गों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना है।

इन उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अनुसंधान कार्यकलाप आवश्यक रूप में सक्रिय प्रकृति के हैं और इन्हें सदैव उभरती चुनौतियों के अनुरूप बनाया गया है। यह स्वीकार करना महत्त्वपूर्ण है कि ये उभरती चुनौतियां वैश्वीकरण के समसामयिक युग में तीव्र गति से अधिक जटिल होती जा रही हैं। इससे पहले कभी भी श्रम की दुनिया में हुए परिवर्तन इतने तीव्र और श्रम एवं रोजगार को प्रभावित करने वाले नहीं रहे। इन परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा इनके प्रभाव, परिणामों और कार्य की दुनिया पर इनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण करने के लिए समुचित अनुसंधान संबंधी रणनीतियों और कार्यसूची को तैयार किया जाना जरूरी है।

निस्संदेह, यह एक बहुत कठिन कार्य है और इस कार्य को एक वैज्ञानिक ढंग से किया जाना है ताकि अनुसंधान में संगत मुद्दों को शामिल किया जा सके। संस्थान के प्रत्येक अनुसंधान केंद्र को अनुसंधान के प्रमुख मुद्दों को स्पष्ट ढंग से इंगित करना चाहिए और अन्वेषण किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण घटकों के ब्यौरे भी तैयार करने चाहिए। इससे न केवल यह सुनिश्चित होगा कि संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों में वैश्वीकृत व्यवस्था में श्रम के समक्ष उभर रहे प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया है अपितु संबंधित क्षेत्रों में विशिष्टता भी हासिल हो सकेगी, जो किसी भी अनुसंधान केंद्र के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण उप्रेरक तत्व होगा।

इसी परिप्रेक्ष्य में संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा शामिल किए जाने वाले अनुसंधान मुद्दों की रूपरेखा तैयार की गई है।

श्रम बाजार अध्ययन केंद्र

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अनुसंधान गतिविधियाँ विभिन्न केन्द्रों के तत्वावधान में चलाई जाती हैं। इन्हीं केन्द्रों में से एक, श्रम बाजार अध्ययन केन्द्र श्रम बाजार में चल रहे परिवर्तनों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसंधान गतिविधियों का उद्देश्य श्रम बाजार के परिणामों के उन्नयन हेतु नीतिगत निदेश प्रदान करना है। केन्द्र की वर्तमान गतिविधियाँ निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर केन्द्रित हैं।

- रोजगार और बेराजगारी
- प्रवासन और विकास
- कौशल विकास
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था एवं उत्तम कार्य

पूरी कर ली गई परियोजनाएं

1. भारत में मजूदरी में रुझान

अध्ययन के उद्देश्य

मजदूरी अर्जकों एवं उनके परिवारों के जीवन–स्तर के लिए मजदूरी, आर्थिक विकास के स्तर के निरपेक्ष, मौलिक महत्व के हैं। वे आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण घटक भी हैं। हाल के वर्षों में, मजूदरी नीति एवं न्यूनतम मजदूरी जैसे नीतिगत साधनों में नई दिलचस्पी देखी गयी है। यह अध्ययन, भारत में मजूदरी के प्रमुख डाटा स्रोतों, जैसे कि राष्ट्रीय रोजगार एवं बेरोजगारी प्रतिदर्श सर्वेक्षण, ग्रामीण श्रम पूछताछ, भारत में कृषि मजूदरी, व्यावसायिक मजूदरी सर्वेक्षण, खेती की लागत संबंधी रिपोर्टें तथा वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण का एक विस्तृत ब्योरा प्रदान करता है। इस अध्ययन में 1983–84 से लेकर 2014–15 तक की अवधि के लिए विभिन्न श्रेणियों एवं सैक्टरों में भारत में मजूदरी के रुझानों का विश्लेषण भी किया गया। भारत में समकालीन व्यापक आर्थिक नीति निर्माण के संदर्भ में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण डाटा के विश्लेषण के आधार पर विनिर्माण क्षेत्र में भी मजूदरी एवं आय और इनके निर्धारकों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन में राष्ट्रीय बुनियादी न्यूनतम मजदूरी (एनएफएलएमडब्ल्यु) को सांविधिक बनाने के तर्काधार पर भी गौर किया गया तथा विभिन्न राज्यों में गरीबी के स्तर पर इसके प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को जून 2015 में शुरु, एवं दिसम्बर 2015 में पूरा किया गया था

(परियोजना निदेशकः डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो)

2. भारत से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक प्रवासन – फेज़ I

अध्ययन के उद्देश्य

यह अध्ययन निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों से किया गयाः (i) प्रवासन चक्र में संगत सरकारी अभिकरणों से उपलब्ध सूचना को संग्रहीत एवं एकत्र करके विदेश में रोजगार के लिए भारत से श्रम प्रवासन के परिमाण के सभी आयामों का आकलन एवं वर्णन करना; (ii) मौजूदा नीतियों एवं संरचना तंत्र में उन कमियों एवं चुनौतियों, जिनकी वजह से श्रम प्रवासन होता है और प्रवासियों एवं प्रवासी परिवारों के मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है, की पहचान करना तथा उन कमियों को पूरा करने लिए कार्यनीति निर्दिष्ट करना।

विस्तृत विश्लेषण के आधार पर, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन के निम्नलिखित क्षेत्रों में विशिष्ट नीतिगत हस्तक्षेपों का वर्णन करती हैः (i) अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन पर ज्ञानाधार को समृद्ध करना; (ii) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 को सुदृढ़ बनाना एवं नई दिशा देना; (iii) प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना; (iv) प्रवासन मुद्दों पर प्रचार एवं जागरूकता अभियान शुरु करना; (v) प्रवासन का काम देखने वाले मंत्रालयों/विभागों के बीच अधिक समन्वय स्थापित करना; (vi) प्रवासन की लागत का वित्तपोषण करना; (vii) प्रवासियों के प्रेषणों (धन) का इष्टतम उपयोग करने के लिए विनिवेश अनुकूल नीतियों सहित प्रमुख श्रमिक आयातक देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों को बढ़ावा देना; (viii) अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर बहुपक्षीय ढांचे को सुकर बनाना।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को नवम्बर 2015 में शुरु, एवं मार्च 2016 में पूरा किया गया था

(आईएलओ समर्थित अनुसंधान, परियोजना निदेशकः डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो)

3. भारत में श्रम प्रशासन के निष्पादन को बढ़ावा देनाः श्रम प्रशासन की क्षमता पर विशेष ध्यान देने के साथ श्रम कानूनों के अनुपालन को बढ़ावा देनk

यह अध्ययन भारत में केंद्रीय स्तर पर तथा राज्यों, नामतः पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, के स्तर पर श्रम प्रशासन की छानबीन करने एवं इसे समझने के उद्देश्य से शुरु किया गया तथा इसका आशय प्रशासन एवं कानूनी सुधारों की ताकतों, कमजोरियों एवं कमियों का पता लगाना था। इस अध्ययन के निष्कर्षों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा नई दिल्ली एवं प्राग, चेक रिपब्लिक में आयोजित दो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं में प्रचारित किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य उन बदलावों एवं परिवर्तन, जिनके दौर से भारत गुजर रहा है, का पता लगाना था। इसका उद्देश्य नीतिगत पाठ तैयार करना था। इस अध्ययन के एक भाग के तौर पर श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार तथा दो संघटक राज्यों, नामतः पश्चिम बंगाल एवं कर्नाटक में क्षेत्र कार्य किये गये।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को जून 2015 में शुरु, एवं जनवरी 2016 में पूरा किया गया था

अनुसंधान परियोजना का परिणाम

इस अध्ययन में कुछ सिफारिशें, जैसे कि अनौपचारिक सैक्टर के कामगारों को अधिक समग्र ढंग से शामिल करना (वर्तमान में अधिकांश प्रचलित सामाजिक सुरक्षा स्कीमें व्यवसाय–विशिष्ट जैसे कि निर्माण या परिवहन कामगार हैं), स्व–नियोजित कामगारों, जिन्हें अधिकांशतः इनसे बाहर रखा जाता है (नियोक्ता–कर्मचारी संबंध न होना, तथा श्रम कानून मुख्यतः इस पर आधारित होते हैं) तक पहुंचना, की गईं। कार्य के स्थान की अवधारणा में बड़ा बदलाव आया है – धीरे–धीरे यह फैल गया है और घरेलू स्थान एक बड़ा कार्यक्षेत्र बन गया है – श्रम प्रशासन को कारखाना/स्थापना की मानसिकता से आगे जाना होगा और श्रम कानूनों को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए माहौल बनाना होगा, श्रम कानूनों को तर्कसंगत एवं सरल (कानूनों का अतिव्यापन है, प्रतिकृति है, बहुलता है और कुछ प्रावधान पुरातन हैं) बनाये जाने की जरूरत है। एक संहिता की शुरुआत करना स्वागतयोग्य कदम है परंतु यह एक गहन अभ्यास नहीं होना चाहिए और सही मायनों में यह एक समामेलन होना चाहिए। संहिता को विशिष्ट होना चाहिए जबकि इसके नियम में अन्य विवरण होने चाहिए। अधिकांश श्रम कानूनों में लचीलापन अंतर्निहित है, परंतु इन्हें अच्छी तरह से लागू किये जाने की जरूरत है और संशोधन करने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श किया जाना चाहिए। वर्तमान में, सभी हितधारक तंग स्थितियों में हैं परंतु सार्थक विचार–विमर्श में एवं आम सहमति बनाने आदि में सभी को शामिल करने की जरूरत है।

इस संबंध में, इस अध्ययन में भारत में राष्ट्रीय श्रम प्रशासन और श्रम निरीक्षण सेवाओं को बढ़ावा देने तथा आईएलओ के मानकों के अनुरूप उनकी प्रभावकारिता एवं संगत अच्छी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें की गई हैं। इसमें श्रम प्रशासन में बुनियादी सुविधाओं की कमी, प्रौद्योगिकी का सीमित उपयोग, पारदर्शी, समग्र एवं समावेशी सुधार प्रक्रिया जैसे कुछ बिंदुओं का भी उल्लेख किया गया है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. किंगशुक सरकार, फेलो)

कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केंद्र

बदलते कृषि संबंधों एवं इनके ग्रामीण श्रमिकों पर प्रभाव का समाधान करने एवं इनकी समझ बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केंद्र की स्थापना की गई। कृषि संबंधों और ग्रामीण श्रम बाजार की बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए यह महसूस किया गया कि कृषि की स्थिति का पता लगाने एवं इसका अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण करने के लिए ज्यादा विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी, ताकि ग्रामीण श्रमिकों के विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनूकूल नीतियों एवं कार्यक्रमों को तैयार किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ढाई दशकों से अधिक का अनुभव भी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केन्द्र के सृजन का यह एक प्रमुख तर्काधार है।

केन्द्र के अनुसंधान कार्यकलाप निम्नलिखित मुद्दों पर केन्द्रित हैं;

- वैश्वीकरण और ग्रामीण श्रम पर उसका प्रभाव;
- ग्रामीण श्रम बाजारों की बदलती संरचना की मैक्रो प्रवृत्तियां एवं पद्धतियां;
- संगठनात्मक कार्यनीतियों का प्रलेखन, मूल्यांकन और प्रचार–प्रसार;
- सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण श्रम;
- विभिन्न कृषि व्यवसायों का अध्ययन।

जारी परियोजनाएं

1. घरेलू डेयरी में रोजगार और आय की संभावनाएं: एक अध्ययन

उद्देश्य

इस अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- घरेलू डेयरी में रोजगार के पैटर्न एवं इसकी स्थिति की जाँच करना
- रोजगार सृजन एवं आय के संदर्भ में डेयरी संचालन की संभावना की जाँच करना
- क्रेडिट, उत्पाद आदि के लिए पहुंच एवं बाजार का अध्ययन करना
- अध्ययन हेतु चुने गए परिवारों के जीवन–स्तर पर घरेलू डेयरी संचालन के प्रभाव का अध्ययन करना
- घरेलू डेयरी के सुधार हेतु नीतिगत एवं कार्यक्रम संबंधी उपायों के सुझाव देना।

अवधि

यह परियोजना मार्च 2015 में शुरु की गई है, तथा इसे जुलाई 2016 तक पूरा किया जाना है।

(परियोजना निदेशक: डॉ. पूनम एस. चौहान, वरिष्ठ फेलो)

राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केन्द्र (एनआरसीसीएल)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केन्द्र (एनआरसीसीएल) की स्थापना यूनीसेफ, आईएलओ और श्रम मंत्रालय के सहयोग से एक विशिष्ट केन्द्र के रूप में की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी उपलब्ध कराना था, जो बाल श्रम पर काबू पाने के समूचे कार्य में सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों, श्रमिक संगठनों और नियोक्ता संगठनों सहित विभिन्न विशेष साझेदारों और पणधारियों के बीच सक्रिय सहयोग सुनिश्चित कर सके। इसका उद्देश्य ज्ञानाधार का सृजन करना और अनुसंधान करना तथा उसे बढ़ावा देना भी है। केन्द्र सरकार बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन के अपने कार्य में नीति निर्धारकों और विधि निर्माताओं का समर्थन करती है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों की नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देती है। केन्द्र का मुख्य विषय तकनीकी सलाह, सेवा और परामर्श प्रदान करना तथा सूचना का प्रचार/प्रसार करना है ताकि बाल श्रम की समस्या को उजागार किया जा सके और लोगों की अभिवृत्ति में परिवर्तन कर उनमें जागरूकता लाई जा सके। केन्द्र बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन के लिए कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने में लगातार प्रयास कर रहा है।

एनआरसीसीएल विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, पक्षसमर्थन, तकनीकी सहयोग, प्रलेखन, प्रकाशन, प्रचार.प्रसार, नेटवर्किंग और विभिन्न स्तरों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सुदृढ़ बनाकर अभिसरण को बढ़ावा देने के जरिए अपना उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

अनुसंधान

अनुसंधान, एनआरसीसीएल के कार्यकलापों में एक महत्वपूर्ण कार्य है। अनुसंधान परियोजनाओं के केन्द्र में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है;

1. चुने हुए खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन पर बेंचमार्क सूचना का सृजन।
2. बाल श्रम के निश्चयात्मक पहलुओं का पता लगाने के लिए अनुसंधान अध्ययनों की समीक्षा करना तथा बाल श्रम के स्थायीकरण के लिए जिम्मेदार कारकों पर सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना।
3. बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कार्यनीतियां बनाना।
4. सफल अनुभव का प्रलेखन करके बाल श्रमिकों को काम से मुक्त करवाने की अवसर लागतों को स्पष्ट करना।
5. राज्य–विशिष्ट बाल श्रम के मुद्दों पर ऐसी सूचनाओं, जिनका नीति निर्माण के लिए कार्यनीतिक निहितार्थ हैं, की समीक्षा एवं प्रसार करना।

इन सूक्ष्म–स्तरीय अध्ययनों में जिन पहलुओं का अध्ययन किया गया है, उनमें समस्या की मात्रा, कानूनों का प्रवर्तन, सरकारी तथा गैर–सरकारी हस्तक्षेपों का प्रभाव, शिक्षा की स्थिति, जीवन तथा कार्य दशायें, व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम आदि शामिल हैं। एनआरसीसीएल ने कई अनुसंधान अध्ययनों और प्रमुख मूल्यांकन अध्ययनों को पूरा कर लिया है।

पूरी की गई परियोजनाएं

1. बच्चों के रोजगार की गतिशीलता एवं सामाजिक –आर्थिक वास्तविकताः मेघालय के ईस्ट एवं वेस्ट जैंतिया हिल्स जिलों में खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों का अध्ययन

वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए इमारती लकड़ी की बिक्री, जो कई किसानों की आय का एक प्रमुख स्रोत था, पर 1981 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के बाद कोयला खनन एक बढ़ता हुआ उद्योग रहा है। इस क्षेत्र में लगभग 640 मिलियन टन कोयले के साथ तृतीयक कोयले का भंडार देश में कुल कोयले के भंडार का लगभग 1.1 प्रतिशत बैठता है। मेघालय राज्य में खनन उद्योग सकल घेरलू उत्पाद (जीडीपी) में 8 – 10 प्रतिशत का अंशदान करता है। यह बताया गया कि मेघालय राज्य के जैंतिया हिल्स जिले, जो अंशतः बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, में लगभग 40 मिलियन टन कोयला निकल सकता है। जैंतिया हिल्स की कोयले की खानों में खुदाई के पुराने तरीके, जिन्हें स्थानीय स्तर पर "रैटहोल माइन" कहा जाता है तथा जो 1 मीटर व्यास एवं 50 से 100 मीटर तक खुदे गहरे संकरे शाफ्ट होते हैं, अपनाये जाते हैं। कोयले को लकड़ी के छोटे पीपों में उठाया जाता है और फिर सिर पर रखकर सड़क किनारे खड़े ट्रकों मे लादा जाता है। अकेले जैंतिया हिल्स में खुदाई के इस तरीके से प्रतिवर्ष लगभग 2 मिलियन टन कोयला निकाला जाता है। इस अनुसंधान परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार थेः i) कोयले की खानों में कामगारों के सामाजिक–आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय प्रोफाइल का अध्ययन; ii) कोयला खदान कामगारों के रोजगार, कार्यदशाओं एवं जीवन–स्तर के पैटर्न का अध्ययन करना; iii) कोयले की खानों एवं अन्य संबद्ध कार्यकलापों में बाल कामगारों के प्रसार, प्रकारों एवं विस्तार कर जाँच करना; iv) मौजूदा संलेख एवं कार्रवाई, कानूनी ढांचे एवं श्रम प्रवर्तन में उचित संशोधनों हेतु सुझाव देना।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को अक्टूबर 2013 में शुरु, एवं सितम्बर 2015 में पूरा किया गया।

अनुसंधान परियोजना का परिणाम

- बाल श्रम पर प्राथमिक एवं गौण डाटा विश्लेषण के निष्कर्षों के द्वारा इस अध्ययन से मेघालय के विभिन्न जिलों में कामकाजी बच्चों के संकेंद्रण के विशिष्ट कारणों को समझने में मदद मिली; इसने राज्यों को बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए योजना बनाने हेतु आवश्यक सामग्री प्रदान करने के लिए कामकाजी बच्चों के कार्यक्षेत्रों एवं व्यावसायिक परिवर्तनों का पता

लगाया है; तथा इस प्रकार राज्यों को बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन पर कार्य–योजना बनाने की उनकी तैयारी के बारे में बताया है। इस अध्ययन की प्रमुख विशेषताएं ये हैं: ऐसे बच्चे भी पाये गये जो स्कूल जा रहे थे तथा काम (एएसडब्ल्यु) भी कर रहे थे और सर्वेक्षण हेतु लिये गये बच्चों की आबादी में उनका प्रतिशत 0.1 था। 740 बच्चे ऐसे थे जो न तो स्कूल जा रहे थे और न ही काम (एनएसएनडब्ल्यु) कर रहे थे और सर्वेक्षण हेतु लिये गये बच्चों की आबादी में उनका प्रतिशत 1.2 था।

- सर्वेक्षण हेतु लिये गये क्षेत्र में 5 से 18 वर्ष के आयु–वर्ग के कुल बालकों में से 7 प्रतिशत कार्यबल में थे तथा इस आयु–वर्ग के कुल बालकों में से लगभग 8 प्रतिशत स्कूल जाने के साथ–साथ काम भी कर रहे थे। उन बालकों, जो न तो स्कूल जा रहे थे और न ही काम कर रहे थे, 5 से 18 वर्ष के आयु–वर्ग के कुल बालकों में उनका प्रतिशत लगभग 2 प्रतिशत था।
- कामकाजी बच्चों की व्यापकता वेस्ट जैंतिया हिल्स जिले में 2.7 प्रतिशत एवं ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले में 3.7 प्रतिशत है।
- स्कूल जाने के साथ–साथ काम करने वाले बच्चों की व्यापकता वेस्ट जैंतिया हिल्स जिले में 0.05 प्रतिशत एवं ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले में 0.1 प्रतिशत है।
- उन बच्चों, जो न तो स्कूल जा रहे थे और न ही काम कर रहे थे, की व्यापकता वेस्ट जैंतिया हिल्स जिले में 0.2 प्रतिशत एवं ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले में 1.7 प्रतिशत है।
- 5 से 18 वर्ष के आयु–वर्ग की कुल 24912 बालिकओं में से 88 प्रतिशत (21814) बालिकाएं स्कूल जा रही थीं, लगभग चार प्रतिशत बालिकाएं काम कर रही हैं। ऐसी बालिकाएं, जो स्कूल जाने के साथ–साथ काम कर रही थीं, कुल 1231 हैं तथा 5 से 18 वर्ष के आयु–वर्ग की कुल आबादी में इनकी व्यापकता 5 प्रतिशत हैं।
- ऐसी बालिकाओं, जो न तो स्कूल जा रही थीं और न ही काम कर रही थीं, की व्यापकता 3 प्रतिशत है जो समान वर्ग में बालकों के अनुपात से कम है। यह उन कारणों, जो उम्र बढ़ने के साथ श्रम बल में लैंगिक भेदभाव को बढ़ा सकते हैं, में से एक को सिद्ध करता है।

(यह अध्ययन राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र एवं पूर्वोत्तर केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।)

(परियोजना निदेशक: डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो एवं
डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एसोसिएट फेलो)

2. दक्षिण एशिया में बाल श्रम समाप्त करने की दिशा में: सार्क क्षेत्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र की स्थापना

यह अनुमान है कि सार्क क्षेत्र में बच्चों एवं काम कर रहे बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। बच्चों द्वारा काम करना एक गंभीर बोझ, शोषक एवं अपमानजनक है तथा जब बच्चे तनाव में काम करते हैं तो

यह उनके स्वास्थ्य के लिए एक खतरा बन जाता है, उनके स्वस्थ विकास में बाधा बनता है, इससे उनकी सामाजिक एवं शैक्षिक आवश्यकताओं की उपेक्षा होती है, उनके भविष्य की संभावनाओं को कमजोर करता है। यह केंद्र सूचना प्राप्त करने, संकलित करने एवं इसे आम आदमी के साथ–साथ विशिष्ट लक्ष्य समूहों जैसे कि बाल श्रम का मुकाबला करने में लगी एजेंसियों, सिविल सोसायटी, उन युवा विद्वानों एवं छात्रों जो इस मुद्दे पर काम करने के इच्छुक हैं, तक प्रसारित करने के लिए एक मुख्य स्थल का कार्य करेगा। इस अनुसंधान परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं: i) सार्क क्षेत्र के देशों के विशिष्ट बाल श्रम पर दस्तावेजों का संग्रहण एवं डिजिटलीकरण तथा इसे मौजूदा वेब संसाधनों में जोड़ते हुए वीवीजीएनएलआई की वेबसाइट में अपलोड करना; ii) विभिन्न सामाजिक पणधारियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना और सार्क क्षेत्र में बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन के लिए समर्थकारी माहौल को मजबूत करना; iii) नीति–निर्माण, क्षमता निर्माण, समन्वय, जानकारी में वृद्धि करने के लिए सीधी सेवाएं प्रदान करना; iv) अच्छी प्रथाओं का दस्तावेजीकरण और सार्क देशों में इनके प्रतिरूप बनाने हेतु इनका प्रसार; v) बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सार्क क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों के बीच नेटवर्क का सृजन एवं सुदृढ़ीकरण।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को 05 मई 2014 में शुरु, एवं मई 2015 में पूरा किया गया।

अनुसंधान परियोजना का परिणाम

सार्क क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं प्रमुख हितधारकों के बीच नेटवर्किंग तथा बाल श्रम के उन्मूलन के क्षेत्र में इसके प्रमुख कार्यकलापों जैसे कि अनुसंधान, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, तकनीकी सहायता, पक्ष–समर्थन, प्रलेखन, प्रकाशन एवं प्रसार के द्वारा तकनीकी एवं कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। यह निम्नलिखित अनुसंधान कार्यकलापों को सुकर बनाता है: सार्क क्षेत्र में बाल श्रम के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान की मौजूदा कमी को पूरा करना; प्रशिक्षण आवश्यताओं का मूल्यांकन करना; सार्क क्षेत्र में बाल श्रम के प्रगामी उन्मूलन की दिशा में विभिन्न लक्ष्य समूहों की क्षमताओं को विकसित करने की दृष्टि से प्रशिक्षण की मांग के जवाब में प्रशिक्षण प्रदान करना; जानकारी एवं सूचना को साझा करना और क्षेत्र के विभिन्न देशों में नवाचारी कार्यनीतियां, कार्यक्रमों एवं कार्रवाइयों को विकसित करने में विशिष्ट मुद्दों के तौर–तरीके एवं कार्रवाई तय करना; अनुसंधान परियोजना, कार्रवाई कार्यक्रम, मूल्यांकन करने में विभिन्न संगठनों, संस्थानों एवं व्यक्तिगत अध्येताओं को तकनीकी सहायता प्रदान करना; बाल श्रम प्रथा के खिलाफ, बाल श्रम सर्वेक्षण के लिए पक्ष–समर्थन एवं अभियान चलाना; बाल श्रम पर पाठ्यक्रम मॉड्यूल तैयार करना; बाल श्रम निगरानी प्रणाली विकसित करना और सेमिनार एवं कार्यशालाएं आयोजित करना; तथा बाल श्रम के प्रगामी उन्मूलन की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ नेटवर्क स्थापित करना।

(परियोजना निदेशक: डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो)

जारी परियोजनाएं

1. भारत में बाल श्रम की स्थितिः रुझानों का मानचित्रण

इस अध्ययन की परिकल्पना शहरी एवं ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में जिला–स्तर पर काम करने वाले बच्चों की संख्या के साथ–साथ कामकाजी बच्चों के संकेंद्रण के क्षेत्रों का आकलन करने के लिए की गई है। उपलब्ध डाटा से इस अध्ययन में उन भौगोलिक इलाकों, जहां बाल श्रम की अधिकता अपेक्षित है, की पहचान करने का भी प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य बाल श्रम की रोकथाम में राज्यों के प्रयासों को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न स्तरों पर जरूरी हस्तक्षेपों, कार्यनीतियों और नीतिगत पक्ष–समर्थन को दिशा प्रदान करना है। इसका लक्ष्य विभिन्न राज्यों में बाल श्रम के परिमाण एवं प्रकार के साक्ष्य के माध्यम से बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को सुदृढ़ करना है ताकि इसका अधिक से अधिक प्रभाव हासिल करने के लिए कार्यनीतिक एवं प्रभावी तरीकों से संकेंद्रित हस्तक्षेपों को अपनाया जा सके। इस अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैंः i) वर्ष 2011 एवं 2001 के जनगणना डाटा के आधार पर देश में बाल श्रम की स्थिति और निवास, साक्षरता स्तर, शिक्षा एवं सामाजिक समूहों के आधार पर बाल श्रम को अलग–अलग कर उसका विश्लेषण करना; ii) बाल श्रम की अधिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राज्यों और एक राज्य के अंदर जिलों में और निवास एवं सामाजिक समूहों में भी बदलाव का मानचित्रण करना, एनएसएसओ, एकत्रीकरण के उचित स्तरों पर बाल श्रम के एएचएस सहित अन्य गौण डाटा की समीक्षा एवं विश्लेषण करना; iii) उन जिलों एवं विकास खंडों की पहचान करना जिन्हें बाल श्रम के मुद्दों का समाधान करने के लिए ठोस एवं विशेष कार्यक्रम करने की आवश्यकता है; तथा iv) बाल श्रम में कमी लाने/इसके उन्मूलन के लिए उपयुक्त सिफारिशें खोजना।

अवधि

17 अगस्त 2015 से मई 2016

(परियोजना निदेशकः डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो एवं
डॉ. एलीना सामंतराय, एसोसिएट फेलो)

2. प्रलेखन, डिजिटलीकरण एवं प्रसार के माध्यम से बाल श्रम के निर्धारकों को निरुद्ध करना

राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र बाल श्रम के उन राज्य–विशिष्ट मुद्दों, जिनके अकादमिक एवं विकासात्मक सोच, और नीति–निर्माण एवं विभिन्न समूहों के क्षमता–निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, पर सूचना एवं जानकारी को हासिल करने एवं उसका प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जानकारी को प्रभावी ढंग से साझा करना इस बात पर निर्भर करता है कि आंतरिक रूप से अधिग्रहीत ज्ञान उत्पादों को एनआरसीसीएल कितनी कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से प्रक्रियारत करता है और बाल श्रम का समाधान करने के लिए यह कौशलों एवं देश और दुनियाभर में विभिन्न क्षेत्रों से अधिग्रहीत ज्ञान उत्पादों का कितनी जल्दी फायदा उठाता है। इस परियोजना के उद्देश्य इस

प्रकार हैं: i) गैर–किताबी डाटा बेस, स्कैन किए हुए प्रलेखनों आदि का एक स्थान पर संग्रह करना, ii) मांगकर्ताओं को बाल श्रम और अन्य संबंधित विषयों पर सही सूचना प्रदान करना, iii) अभिदत्त एवं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त डाटाबेस का उपयोग करने के लिए आंतरिक के साथ–साथ बाह्य उपयोगकर्ताओं के लिए प्रावधान करना।

अवधि

21 जुलाई 2015 से अक्टूबर 2016

(परियोजना निदेशकः डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो)

3. भारत में बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए कारगर कार्यनीतियां एवं तकनीक विकसित करना (यूनीसेफ–वीवीजीएनएलआई परियोजना)

इस क्रियानिष्ठ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परियोजना का उद्देश्य भारत में बाल श्रम की अधिकता वाले आठ राज्यों में कामकाजी बच्चों की संख्या में कमी लाना है। चूंकि कामकाजी बच्चों एवं स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में उच्च सह–संबंध है, अतः बाल श्रम की अधिकता वाले राज्यों में कामकाजी बच्चों की संख्या में कमी लाना, स्कूल जाने वाले एवं सीखने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि करने में योगदान देगा। इस परियोजना के उद्देश्य हैं: i) एक प्रशिक्षण मॉड्यूल, और एक व्यापक पुस्तिका, जिसका उपयोग राज्य एवं जिला स्तरीय सरकारी विभागों एवं संबंधित एजेंसियों द्वारा बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया बेहतर समन्वित ढंग से करने के लिए अपनी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के साथ–साथ अन्य हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारी को अच्छे से समझने के लिए किया जा सकता है, विकसित करना, ii) बाल श्रम की समस्या पर जागरूकता एवं संवेदीकरण को बढ़ा करके बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए राज्य स्तरीय हितधारकों की क्षमता को सुदृढ़ करना, और उन्हें अधिक समन्वित दृष्टिकोण के द्वारा बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए आवश्यक कौशलों एवं जानकारी से लैस करना, iii) बाल श्रम की समस्या पर जागरूकता एवं संवेदीकरण को बढ़ा करके बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए जिला स्तरीय हितधारकों की क्षमता को सुदृढ़ करना, और उन्हें अधिक समन्वित दृष्टिकोण के द्वारा बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए आवश्यक कौशलों एवं जानकारी से लैस करना, iv) बाल श्रम पर मॉडल प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना, जिसे समुदाय स्तर की संरचनाओं के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूलों में समेकित किया जा सकता है, v) बाल श्रम के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जागरूकता निर्माण और इस तथ्य कि सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में बच्चों को श्रम बल में शामिल करने के लिए निहित स्वार्थ चल रहे हैं, को एसएमसी, सीपीसी, पीआरआई, एसएचजी, आदि विशेष रूप से बाल श्रम की आशंका वाले क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूलों में एक घटक के तौर पर शामिल करने के लिए सहभागी राज्यों को कहना।

अवधि

05 मई 2015 से मार्च 2017 तक

(परियोजना निदेशकः डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो)

रोजगार संबंध और विनियमन केन्द्र

रोजगार संबंध और इनके विनियमन का मुद्दा श्रम के क्षेत्र में हमेशा से एक प्रमुख वाद–विवाद करने योग्य एवं आकर्षक मुद्दा रहा है। रोजगार संबंधों में खासकर 1991 से तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने इस मुद्दे को यथोचित प्राथमिकता देते हुए इन परिवर्तनों और अन्य संबद्ध मामलों का अध्ययन करने हेतु काफी पहले, वर्ष 2001 में एक विशिष्ट केंद्र, नामतः रोजगार संबंध एवं विनियमन केंद्र स्थापित किया। इस केंद्र का उद्देश्य बदलते रोजगार संबंधों का अवबोधन विकसित करना है ताकि उचित कानूनी विनियमन ढांचे का नियमन करने तथा उपयुक्त सामाजिक संरक्षण उपाय विकसित करने में मदद मिल सके। केंद्र की अनुसंधान गतिविधियों में मुख्यतः निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है: ट्रेड यूनियनें तथा उभरते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में उनकी भूमिका; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में उभरते रोजगार संबंध; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधों के विनियमन में मौजूदा कानूनी ढांचे की सीमा; न्यायिक प्रवृत्ति में परिवर्तन तथा न्यूनतम मजदूरी का विनियमन आदि। केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह (आरएजी) में शिक्षाविद और ट्रेड यूनियनों के साथ–साथ नियोक्ता संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं।

जारी परियोजनाएं

1. राज्य सरकारों द्वारा हाल ही में किए गए श्रम कानून सुधारों के प्रभाव

lnHk% पिछले लगभग 35 वर्षों में, आर्थिक गतिविधियों के वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के बाद कार्य एवं रोजगार दशाओं में अनेक परिवर्तन हुए हैं, इनमें से कई परिवर्तन उद्योग द्वारा सामना की गई नई चुनौतियों के परिणाम थे। इन वर्षों में, वाणिज्य और उद्योग चैम्बर ने लगातार केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकारों को श्रम कानूनों में सुधार हेतु प्रस्ताव पेश किए – कुछ प्रावधानों को उद्योग जगत की हस्तियों द्वारा पुरातन बताया गया, इन प्रावधानों ने आज के संदर्भ में अपनी प्रासंगिकता खो दी है। सरकारों ने पिछले वर्षों में पेश किए गए प्रस्तावों की खूबियों का अध्ययन करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं और इनमें से ऐसे कुछ प्रस्तावों, जिन्हें व्यवहार्य पाया गया एवं जिन पर आवश्यक आम सहमति बन पायी थी, पर संशोधनों में अमल किया गया है। हालांकि, कतिपय अन्य प्रस्तावों पर आम सहमति नहीं बन पाने से ये प्रस्ताव विचारार्थ लंबित हैं।

इस बीच, शांतिप्रद व्यापार प्रक्रियाएं विकसित करने की आवश्यकता और उनका सरलीकरण एक समग्र स्वीकृत आवश्यकता है जिसका दबाव उद्योग के साथ–साथ सरकार पर पड़ रहा है। इस स्थिति के मद्देनजर और उद्योग को सुगम बनाने एवं कामगारों के रोजगार अवसरों की दृष्टि से विभिन्न राज्य सरकारों ने संशोधनों के माध्यम से और कुछ मामलों में कानून के तहत, जहां राज्य सरकारें कानून द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं, अधिसूचना जारी करके नवाचारी कदम उठाये हैं।

इस अध्ययन (वीवीजीएनएलआई की महापरिषद के निर्देशों पर शुरु किया गया) में संबंधित राज्यों से ऐसे नवाचारी उपायों, अधिसूचनाओं तथा श्रम सुधारों की दिशा में किए गए राज्य–विशिष्ट संशोधनों

का संग्रहण तथा इन उपायों को शुरु करने के बाद वास्तविक प्रभाव का अध्ययन करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रभाव–विश्लेषण में व्यापार को आसान बनाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने, रोजगार के साथ–साथ मजूदरी, कार्य घंटों एवं सामाजिक सुरक्षा आदि सहित कार्य एवं रोजगार दशाओं के स्तर पर प्रभाव को कवर किया जाएगा।

अध्ययन का क्षेत्र, दायरा एवं पद्धति

अध्ययन का दायरा उन राज्यों तक सीमित रखा जाएगा जहां प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का अनुकरण करते हुए ऐसी स्थानीय पहलें फलीभूत हुई हैं। इस अध्ययन में कवर किए जाने वाले प्रस्तावित राज्य हैं: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं आंध्र प्रदेश। वर्तमान अध्ययन के तहत कवर किए जाने वाले प्रस्तावित श्रम अधिनियम हैं: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; कारखाना अधिनियम, 1948; संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा राज्यों द्वारा हाल ही में संशोधित राज्य अधिनियमों सहित कुछ और अधिनियम।

अध्ययन के उद्देश्य:

अध्ययन के कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i) अध्ययन के लिए चुने गये राज्यों द्वारा हाल के वर्षों में श्रम कानूनों में सुधार के उद्देश्य से किए गए विभिन्न नवाचारी उपायों, अधिसूचनाओं एवं राज्य–विशिष्ट संशोधनों को एकत्र करना।

ii) राज्य सरकारों द्वारा शुरु किए गए विभिन्न श्रम कानून सुधार उपायों के संबंध में विभिन्न हितधारकों की धारणा को प्राप्त करना।

iii) आम तौर पर औद्योगिक संबंध परिदृश्य पर विभिन्न श्रम सुधार पहलों के प्रभाव का आकलन एवं मूल्यांकन करना।

iv) प्रक्रियाओं का सरलीकरण, व्यापार को आसान बनाना, रोजगार, कार्य एवं रोजगार दशाओं के स्तर और विशेष तौर पर सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं पर विभिन्न श्रम सुधार उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

प्रत्याशित परिणाम:

इस अध्ययन में राज्य सरकारों द्वारा श्रम सुधार के क्षेत्र में किए गए विभिन्न नवाचारी उपायों के साथ–साथ उनके परिणामस्वरूप हुए वास्तविक प्रभाव की पहचान करना अपेक्षित है। ऐसी आशा है कि ऐसे उपायों का संकलन एवं वास्तविक प्रभाव का अध्ययन उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन से अन्य राज्यों के लिए उपयोगी होगा।

अवधि

मार्च 2016 से मार्च 2017

(परियोजना निदेशक: डॉ. संजय उपाध्याय, फेलो)

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम (आईएलएचआरपी)

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम (आईएलएचआरपी), श्रम इतिहास अनुसंधान के संबंध में एक विशिष्ट कार्यक्रम है। इसकी स्थापना एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियन्स, जो श्रम के इतिहास में रूचि रखने वाले व्यावसायिक इतिहासकारों और विद्वानों का एक निकाय है, के सहयोग से की गई। एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम का सर्वोपरि उद्देश्य भारत में श्रम के संबंध में ऐतिहासिक अनुसंधान प्रारंभ करना, उसे समेकित और पुनर्जीवित करना है और देश में अपनी किस्म का यह पहला प्रयास है। कार्यक्रम के तीन परस्पर पुनर्बलनकारी घटक हैं, जैसे कि ''भारतीय श्रम का डिजिटल अभिलेखन; भारत के श्रम इतिहास को लिखना; तथा अंतर विधात्मक अनुसंधान''। यह अभिलेखागार श्रमिकों से संबंधित विभिन्न प्रलेखों और सामग्री का, विभिन्न पणधारियों (जैसे ट्रेड यूनियनें, गैर–सरकारी संगठन, सरकारी विभाग और व्यापारी घराने) के सहयोग और नेटवर्किंग के माध्यम से संकलन और परिरक्षण करता है। डिजिटल अभिलेखन में लगी समान एजेंसियों (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) के साथ नेटवर्किंग भी अभिलेखागार का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

अभी तक यह अभिलेखागार देश के श्रमिक प्रलेखों का एक सबसे बड़ा डिजिटल संग्रहालय है, जहां सार्वजनिक सुलभता के लिए विश्वव्यापी वेब (www.indialabourarchives.org) में डाटा के 15 से अधिक गिगाबाइट्स मौजूद हैं। अभिलेखागार के लिए संकलन, श्रमिक इतिहास के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के संबंध में अनुसंधान और संकलन परियोजनाओं के संचालन और अनुवीक्षण के जरिए सृजित किए जाते हैं जिसमें देश के अंदर और देश के बाहर के विशेषज्ञों और अभिकरणों के साथ बातचीत और नेटवर्किंग शामिल है। कार्यक्रम के अंतर्गत, श्रमिक इतिहास के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के संबंध में नियमित रूप से शैक्षणिक चर्चाएं, सेमिनार और परिचर्चाएं भी आयोजित की जाती हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक अनुसंधान और संकलन की 50 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं/चल रही हैं। वर्ष 1998 में इसकी शुरुआत से इस कार्यक्रम के अंतर्गत 20 वर्किंग दस्तावेज प्रकाशित किए गए हैं तथा लगभग 85 संगोष्ठियां/चर्चाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें श्रमिक इतिहास से संबंधित 10 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां शामिल हैं।

आईएलएचआरपी द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना	शुरु करने की तिथि	पूरा करने की तिथि
1.	दलित आंदोलन एवं श्रमिक आंदोलन का इतिहासः एक अनुसंधान एवं संग्रहण परियोजना – फेज़ IV	अप्रैल 2015	दिसम्बर 2015
2.	भारत में श्रम संबंधी प्रमुख राष्ट्रीय रिपोर्टों से न्यूनतम मजूदरी, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं संरक्षा पर संदर्भों का संकलन	अप्रैल 2015	जुलाई 2015

3.	भारतीय श्रम अभिलेखागार की वेबसाइट को नया स्वरूप देना	अक्टूबर 2015	मार्च 2016
4.	मौखिक इतिहास के ऑडियो कैसेट्स का डिजिटलीकरण– फेज़ II	अक्टूबर 2015	मार्च 2016
5.	अनौपचारिक सैक्टर श्रम पर अनुसंधान एवं संग्रहण परियोजना	दिसम्बर 2015	मार्च 2016

1. दलित आंदोलन एवं श्रम आंदोलन का इतिहासः एक अनुसंधान एवं संग्रहण परियोजना – फेज़ IV

आजादी के बाद भारत में राजनैतिक रूप से जागरूक एवं मुखर दलित आंदोलन के उद्भव से भारत का सामाजिक एवं राजनैतिक परिदृश्य काफी बदल गया है। भारतीय आबादी के सबसे दलित वर्ग की आर्थिक स्थिति में धीमी किंतु सकारात्मक परिवर्तन के साथ–साथ उनकी आत्मस्थापन और स्वायत्त राजनैतिक संगठन के लिए प्रवृत्ति से हमारे समाज और राजनीति में दमनकारी जाति व्यवस्था का बोलबाला कम हो गया है। दलितों के खिलाफ जातिगत भेदभाव चलते रहने के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि दलित आंदोलन ने कई प्रकार से मानसिकता बदलने में सहायता की है और जमीनी स्तर पर सत्ता के समीकरणों को बदला है।

दलित आंदोलन के इतिहास को 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एवं गैर–ब्राह्मण आंदोलन के उद्भव के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि यह भारतीय राजनीतिक आकाश में बाबासाहब अंबेडकर का अभ्युदय था जिससे दलितों को राजनैतिक दृश्यता प्राप्त हुई। दलितों की राजनैतिक उद्धार की अंबेडकर की दृष्टि को महात्मा गांधी के अस्पृश्यता विरोधी सामाजिक सुधार के एजेंडे और कम्युनिस्टों एवं समाजवादियों के वर्ग संघर्ष परिप्रेक्ष्य के साथ संघर्ष करना पड़ा। आजादी के बाद भारत में उभरने वाले दलित आंदोलन पथ का स्वरूप इन तीन विरोधी वैचारिक आशयों के द्वारा तय हुआ। इनमें से, जाति एवं वर्ग आधारित राजनैतिक दृष्टि के बीच आपसी संबंध एक दिलचस्प ऐतिहासिक प्रश्न खड़ा करता है और शायद यह दलित अध्ययन अनुसंधान में सबसे ज्यादा उपेक्षित भी है।

इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य भारत में दलित आंदोलन का, विशेषकर श्रमिक आंदोलन के साथ इसके अंतराफलक पर फोकस करते हुए, दस्तावेजीकरण करना एवं इस पर अनुसंधान करना है। इस परियोजना के आपस में जुड़े दो घटक हैं: (क) अभिलेखीय संग्रहण, (ख) अनुसंधान एवं संग्रहण। चौथे चरण के तहत इस परियोजना में मुंबई विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के महाराष्ट्र राज्य अभिलेखागार एवं खिरमोडे संग्रह से डॉ. बी. आर. अंबेडकर की स्वतंत्र श्रमिक पार्टी पर अभिलेखीय स्रोतों को प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना में इसके विषय पर महाराष्ट्र क्षेत्र में अन्य विविध अभिलेखीय स्रोतों का मानचित्रण किया गया तथा इन्हें प्राप्त करने की योजना बनायी जाएगी।

2. भारत में श्रम संबंधी प्रमुख राष्ट्रीय रिपोर्टों से न्यूनतम मजूदरी, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं संरक्षा पर संदर्भों का संकलन

इस परियोजना में भारतीय श्रम अभिलेखागार में राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्टों के मौजूदा संग्रह में से न्यूनतम मजूदरी, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं संरक्षा पर संदर्भों का संकलन शुरु किया गया। इस संकलन का उद्देश्य भारत में श्रम पर समकालीन नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। यह संकलन, रिपोर्ट ऑफ दि रॉयल कमीशन ऑन लेबर, 1929; रिपोर्ट ऑफ दि लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी, 1946; रिपोर्ट ऑफ दि फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, 1967–69; रिपोर्ट ऑफ दि नेशनल कमीशन ऑन वीमेन इन इन्फॉर्मल सैक्टर, 1988;रिपोर्ट ऑफ दि नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर, 1991; तथा रिपोर्ट ऑफ दि सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, 2002 के संदर्भों पर आधारित था।

3. भारतीय श्रम अभिलेखागार की वेबसाइट को नया स्वरूप देना

पिछले वर्षों में आईएलएचआरपी के मूल्यांकन एवं तकनीक उन्नयन कार्यक्रम की मूल बातों में डिजिटल संग्रहण के विस्तार पर फोकस किया गया। यह सर्वरों, उपकरणों, सॉफ्टवेयरों, कार्यप्रणालियों एवं स्टाफ के कौशलों के अनुकूल एवं लचीले संयोजन से संभव हो पाया। इन सबको एक समन्वित तरीके से एक स्थान पर रखकर आईएलएचआरपी में डिजिटलीकरण को संचालित किया गया। इसके अतिरिक्त, आईएलएचआरपी का प्रभाव परामर्श अवसरों, जो वीवीजीएनएलआई एवं एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरिअंस के विशाल संस्थागत संपर्कों एवं प्रतिष्ठा से मिले, के द्वारा बढ़ा।

आईएलएचआरपी के डिजिटल संग्रहण की व्यापक कार्यनीति अभिलेखीय प्लेटफॉर्म की ओर निर्देशित है जो सभी प्रकार की डिजिटल सामग्री की पहचान, प्रबंधन एवं परिरक्षण कर सकते हैं। इसका फोकस ऐसे प्लेटफॉर्मों एवं वितरण विधियों, जो अधिक समकालीन, विस्तारणीय एवं मजबूत हों तथा प्रचालन एवं प्रबंधन के लिए आसान हों, पर है। अभिलेखागार के उन्नयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत इसकी सुरक्षा, स्थिरता, मापनीयता एवं गति रहे हैं। आईएलएचआरपी की डिजिटलीकरण इकाई के कार्य आपातस्थिति में अभिलेखागार के सर्वरों एवं कार्यस्थानों का स्थिरीकरण, डिजिटल संग्रह तकनीकों में प्रासंगिक प्रगति की पहचान, सामग्री के जीवन–चक्र पर दोष–सहिष्णु कार्यप्रणाली का कार्यान्वयन, अभिलेखीय सामग्री का संक्रमण एवं मानकीकरण में परिणत हुए। ये प्रयास डिजिटल संग्रह के लिए महत्वपूर्ण हैं, और ये आईएलएचआरपी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान अभिलेखीय सामग्री के संक्रमण एवं मानकीकरण से अभिलेखीय डाटा की मात्रा 1500 गिगाबाइट्स (पिछले वर्ष इस समय) से बढ़कर 5000 गिगाबाइट्स से अधिक हो गयी है। यह डाटा की चौंका देने वाली मात्रा है, तथा प्रसंस्करण एवं आत्मसात किये जाने के बाद इसमें 7,00,000 अभिलेखीय वस्तुएं होंगी। विशेष रूप से, आईएलएचआरपी की प्रमुख सामग्रियों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। नये सह–स्थित एवं आंतरिक सर्वरों के भंडारण एवं प्रसंस्करण क्षमताओं के उन्नयन के बाद आईएलएचआरपी डिजिटल संग्रह के विस्तार में तेजी लाने में सफल रहा है।

समय के साथ तकनीक में परिवर्तन होने पर आईएलएचआरपी का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने के लिए एवं अभिलेखागार में परिरक्षित स्रोतों के व्यापक प्रसार के लिए अपनी वेबसाइट www.indialabourarchives.org को नया स्वरूप देना है। इसके लिए, इस परियोजना का उद्देश्य अभिलेखागार के नये सर्वर को ग्रीनस्टोन डिजिटल लाईब्रेरी प्लेटफॉर्म पर विन्यस्त करना है। इसके तहत, वेबसाइट के स्थिर कार्यचालन के लिए पुराने सर्वर (2001 में खरीदा गया) में से 700 जीबी अभिलेखीय डाटा को नये सर्वर में हस्तांतरित किया जाएगा।

ग्रीनस्टोन पर काम कर रहे व्यावसासयिकों की स्वैच्छिक सहायता (भारत एवं विदेशः आईआईएम कोझीकोड, लैटिल अमेरिकन ग्रुप ऑन ग्रीनस्टोन) से आईएलएचआरपी का उद्देश्य अभिलेखागार की वेबसाइट को जहां तक संभव हो सके, उपयोगकर्ता–हितैषी बनाने के लिए ग्रीनस्टोन प्लेटफॉर्म का पता लगाना एवं सुगम बनाना है। इससे विविध इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों में अभिलेखीय स्रोतों की व्यापक पहुंच संभव होगी। कागज–आधारित संग्रहों से लेकर ऑडियो/वीडियो संग्रहों तक अभिलेखीय स्रोतों की व्यापक सामग्री उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न स्वरूपों में सुलभ होगी।

4. मौखिक इतिहास के ऑडियो कैसेट्स का डिजिटलीकरण– फेज़ II

इस परियोजना का उद्देश्य लगभग 300 ऑडियो कैसेटों को एमपी3 फॉर्मेट में परिवर्तित करना है क्योंकि नमी के कारण ये खराब हो रहे हैं। अभिलेखागार में परिरक्षित कैसेटों के विवरण निम्न प्रकार हैं:

संग्रह का नाम	टेपों की संख्या	अवधि/आकार	सीडी की संख्या	फ्लोपी की संख्या
बम्बई टेक्सटाईल हड़ताल, 1982	7 सामान्य आकार 1 छोटा आकार	5X60 2X90 1X60	5	1
दिल्ली के असंगठित कामगार तथा सात दिन की हड़ताल, 1988	22 सामान्य आकार	6X60 16X90	4	
दिल्ली में औद्योगिक एवं आश्रित श्रमिक जीवन का प्रलेखनः एक मौखिक इतिहास दृष्टिकोण	7 सामान्य आकार 2 छोटा आकार	7X90 2X60		
भारतीय मजदूर संघ के इतिहास का प्रलेखन	1 सामान्य आकार	1X60		
पश्चिम बंगाल के 24 परगना (दक्षिण) जिले में समुदाय– आधारित कपड़ा उद्योग का वर्तमान एवं भूत			4	1

अहमदाबाद के बीड़ी कामगारों के डिजिटल संग्रह की स्रोत सामग्री का व्यवस्थापन एवं निर्माण			6	
सेवा (एसईडब्लयुए) पर डिजिटल संग्रह की स्रोत सामग्री का व्यवस्थापन एवं निर्माण				
भारत में श्रमिक आंदोलन का मौखिक इतिहास–फेज़ I से III तथा एआईटीयूसी	(63+244) सामान्य आकार	(2X60 61X90) (14X60 230X90)	6	
केंद्रीय विधान के लिए निर्माण कामगारों के 1985 से राष्ट्रीय अभियान के दस्तावेजों का अध्ययन एवं संग्रहण	4 सामान्य आकार		4	
भारतीय खेत मजदूर यूनियन –फेडरेशन (बीकेएमयू–एफ), राज्य /स्थानीय खेत मजूदर संगठन, तथा आम तौर पर कृषि श्रमिकों के रिकॉर्डों/सामग्री का प्रलेखन एवं संग्रहण			10	
अनौपचारिकीकरण प्रक्रियाः बनारस के बुनकरों का अनियमिमतीकरण एवं दरिद्रीकरण	6 सामान्य आकार	6X60		
चमड़े के कारीगरों से ईंट–भट्टा कामगारों तकः थके हुए यात्रियों के आख्यान	12 सामान्य आकार	12X60	5	
आउटसोर्सिंग के प्रभाव पर विशेष जोर के साथ कोयला कामगारों के इतिहास का संग्रहण	12 सामान्य आकार	3X60 9X90		
इंदौर नगर का टेक्स्टाईल श्रमिक इतिहास			5	

उपरोक्त ऑडियो कैसेटों के संकलनों के एमपी3 फॉर्मेट बनने से अभिलेखागार में परिरक्षित मौखिक इतिहास साक्षात्कार शोधकर्ताओं को आसानी से सुलभ हो सकेंगे। एमपी3 फॉर्मेट बनने से आईएलएचआरपी अभिलेखागार में परिरक्षित मौखिक इतिहास साक्षात्कारों को व्यापक सार्वजनिक उपयोग के लिए भारतीय श्रम अभिलेखागार की वेबसाइट में अपलोड करने में सक्षम होगा।

5. अनौपचारिक सैक्टर श्रम पर अनुसंधान एवं संग्रहण परियोजना

एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियन्स (एआईएलएच) ने दिल्ली और आस–पास के औद्योगिक क्षेत्रों में अनौपचारिक सैक्टर श्रम पर एक अध्ययन शुरु किया है। इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू दिल्ली और आस–पास के क्षेत्रों में श्रमिक समुदायों के कामकाजी जीवन का प्रलेखन एवं चित्रण करना है। श्रमिक संबंध, कामगारों और उनके परिवारों के रोजमर्रा के जीवन काम की प्रक्रिया एवं कार्यदशाएं इस अध्ययन के कुछ और महत्वूपर्ण पहलू हैं। एआईएलएच के सदस्य उत्तरी एवं उत्तर–पश्चिमी दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में कामगारों के रोजमर्रा के जीवन के प्रलेखन एवं चित्रण के लिए कामगार समुदायों के साथ काम कर रहे हैं। प्रलेखनों एवं अन्य स्रोतों, जिनमें मौखिक विवरण भी शामिल हैं, का डिजिटलीकरण करने के बाद इन्हें आईएलएचआरपी कार्यक्रम के तहत श्रमिक अभिलेखागार की सामग्री में जोड़ा जाएगा। श्रमिक अभिलेखागार की मौजूदा सामग्री में यह वृद्धि महत्वपूर्ण होगी।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं/सेमिनार

'क्रोनोलोजीज़ ऑफ लेबरः अ ग्लोबल पर्सपेक्टिब' पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने मेरिअन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ः मेटामोर्फजेज' ऑफ पॉलिटिक्स (एमआईसीएएसः एमपी), सेंटर फॉर मॉडर्न इंडियन स्टडीज़ (एसईएमआईएस) यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन, जर्मनी और एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस (एआईएलएच) के सहयोग से 'क्रोनोलोजीज ऑफ लेबरः अ ग्लोबल पर्सपेक्टिब' पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 22–23 जनवरी 2016 को वीवीजीएनएलआई में किया। इस कार्यशाला में लंबी बीसवीं शताब्दी में एक राजनैतिक श्रेणी के तौर पर 'श्रम' की अस्थायी गतिशीलता पर चर्चा करने हेतु दुनियाभर के विभिन्न भागों से सामाजिक एवं ऐतिहासिक विज्ञान के 50 विद्वानों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान जिन विशिष्ट सवालों पर चर्चा की गई उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: श्रम की राजनीति के कालक्रम की तुलना दुनियाभर में 'मजूदर वर्ग के युग' के रूप में बीसवीं सदी की धारणा, जो उस सदी की आखिरी तिमाही में समाप्ति की ओर थी, को किस हद तक बनाये रखती है? 'मुख्य' एवं 'गौण' कार्यबल (जैसे कि दोहरे 'अनौपचारिक'/'औपचारिक', 'नियमित'/'अनियत' अथवा 'मानक'/'अवमानक') के साथ–साथ संभाव्य एवं अस्पष्ट, संबद्ध एवं असंगत, के बीच विभाजन की अवधारणा क्यों विश्लेषणात्मक तौर पर असंतोषजनक एवं अपरिहार्य है? एक राजनैतिक श्रेणी के तौर पर 'श्रम' की परिभाषा किस तरह सामाजिक–स्थानिक एवं लौकिक संदर्भों, नागरिकता को परिभाषित करने की प्रक्रियाओं, उत्पादन के सामाजिक संबंधों को विनियमित करने में कानून की भूमिका राज्य की प्रकृति से जुड़ी हुई है? लंबी बीसवीं सदी के दौरान प्रवासन व्यवस्थाओं का परिवर्तन राजनैतिक

तौर पर 'श्रम' को पुनःपरिभाषित करने से किस तरह जुड़ा हुआ है? तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, श्रम प्रबंधन और उत्पादन के स्थानिक पुनर्गठन की समग्र प्रवृत्तियां विभिन्न श्रम व्यवस्थाओं में राजनैतिक तौर पर कैसे व्यक्त की गई हैं?

इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो ने किया।

श्रम इतिहास पर 11वाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस (एआईएलएच) के सहयोग से श्रम इतिहास पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 21–23 मार्च 2016 के दौरान वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में किया। इस सम्मेलन में भारत सहित 15 देशों से श्रम इतिहास के 100 प्रसिद्ध विद्वानों ने भाग लिया। सम्मेलन में लगभग 50 शोध–पत्र प्रस्तुत किए गए एवं उन पर चर्चा की गई।

सम्मेलन का मुख्य विषय था 'श्रमिक, श्रम और मध्यस्थता'। एक व्यापक श्रेणी के तौर पर मध्यस्थता सार्वभौमिक रूप से लगभग श्रमिकों की दुर्दशा एवं श्रम की घटना पर लागू होती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि श्रमिकों एवं कामगारों के मध्य संबंध शायद ही कभी प्रत्यक्ष होता हो, तो भर्ती से लेकर राजनैतिक प्रतिनिधित्व तक हर कदम पर मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। मध्यस्थता महज दो विरोधी सामाजिक समूहों अथवा हितों को नहीं जोड़ती है परंतु कभी–कभी यह अपने इस बिंदु से ऊपर उठती है तथा चरम सीमा तक अपनी शक्ति का प्रयोग करती है – जैसे कि पूंजीवादी समाज में आधुनिक राज्य द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन किया जाता है।

इस सम्मलेन में आम तौर पर मध्यस्थता के संदर्भ में उत्पन्न वर्ग संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण सामाजिक एवं सैद्धांतिक प्रश्नों पर विचार किया गया। ऐसे बुनियादी प्रश्नों, जिन पर इस सम्मेलन में विचार–विमर्श किया गया, में से कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं: मध्यस्थता के विभिन्न प्रकार क्या हैं और यह क्यों आवश्यक है? मध्यस्थता के प्रकारों, जो समाज के साथ श्रम के संबंध को व्यक्त करते हैं, में समय के साथ क्या बदलाव आये हैं? मध्यस्थता की भूमिका किस तरह का सामाजिक स्तर निभाता है, और जब वे एक स्थिर सामाजिक–आर्थिक शक्ति बन जाते हैं तो मध्यस्थ हित के तौर पर क्या उभर कर आता है? श्रमिक मध्यस्थता की घटना से कैसे निपटते हैं, और मध्यस्थता में लगे व्यक्तियों के साथ वे कैसे बातचीत करते हैं? तथा राजनैतिक विचारधाराएं श्रम को कैसे उनके प्रतिनिधित्ववादी प्रकार्यों में शामिल करती हैं?

इस सम्मेलन का समन्वय डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो, वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, डॉ. प्रभु महापात्रा एवं डॉ. राणा बहल, एसोसिएशन ऑफ लेबर हिस्टोरियंस ने किया।

श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र

स्वास्थ्य प्रणालियों की वह मात्रा, जो विभिन्न सामाजिक समूहों की जरूरतों को पूरा करती है, दुनियाभर में चिंता का विषय है। यह चिंता उन देशों में और भी अधिक है जो तेजी से आर्थिक विकास एवं संस्थागत बदलाव का अनुभव कर रहे हैं। भारत में, जहां अधिकांश लोग गरीब हैं और अपनी आजीविका के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य लाभों के साथ–साथ स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में समानान्तर निष्पक्षता उपलब्ध करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य प्रावधानों और कार्य की दुनिया के साथ इसकी अंतर–संबद्धता के प्रमुख मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। यह विशेषीकृत केंद्र, एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में कामगारों के सामने उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने एवं उनका समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। केंद्र के प्रमुख अनुसंधान कार्यकलाप निम्नलिखित हैं;

केंद्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र

- रोजगार एवं उभरते स्वास्थ्य जोखिमों के नये रूप तथा रुग्णता के पैटर्न
- श्रम बाजार रूपान्तरण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इसकी चुनौतियां।
- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच एवं स्वास्थ्य व्यवहारः जाति, वर्ग, धर्म एवं लिंग के आधार पर इंटरफेस
- सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली और इसके प्रभाव
- स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सामाजिक बीमा की भूमिका।

पूरी की गई परियोजनाएं

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के कार्ड धारकों के डाटा की सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी) डाटा से तुलना

यह अध्ययन श्रम और रोजगार मंत्रालय के निर्देश पर किया गया था। इस अध्ययन में विभिन्न राज्यों के कुछ गांवों में आरएसबीवाई के कार्ड धारकों के डाटा की सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी) डाटा से तुलना की गई। चूंकि एसईसीसी डाटा चुनिंदा राज्यों एवं जिलों के लिए ही उपलब्ध था, इसलिए इस अध्ययन को उन राज्यों/जिलों तक सीमित किया गया जिनके एसईसीसी डाटा, आरएसबीवाई के कार्ड धारकों के डाटा के साथ तुलना करने हेतु उपलब्ध थे।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को अप्रैल 2015 में शुरु, एवं जून 2016 में पूरा किया गया था

(परियोजना निदेशकः डॉ. रूमा घोष, फेलो)

लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र

लिंग और श्रम अध्ययन केंद्र की स्थापना का उद्देश्य कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दों की समझ को सुदृढ़ बनाना और उसके समाधान के उपाय खोजना है। श्रम बाजार में सुधारों के साथ ऐसे मुद्दों ने अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण आयाम को पाया है। महिलाओं को श्रम बाजार में प्रवेश के लिए कई तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और बहुधा उन्हें पुरुषों को कार्य चुनने की आजादी के बराबर आजादी नहीं मिलती। श्रम बल सहभागिता दरों एवं बेरोजगारी दरों में लैंगिक अंतर वैश्विक श्रम बाजारों की ऐसी विशेषताएं हैं, जो लगातार बनी हुई हैं। पूरे विश्व में श्रम बाजारों में लैंगिक असमानता एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। श्रम बाजार में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए शैक्षिक एवं नीतिगत, दोनों स्तरों पर ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

महिलाओं को आर्थिक गतिविधि के उन क्षेत्रों, जिनमें वे काम करती हैं, के संदर्भ में बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है। महिलाएं कुल रोजगार में कमजोर रोजगार के संदर्भ में प्रायः वंचित अवस्था में होती हैं। इनमें अधिकांशतः घरेलू कामगार, विशेषकर कम कौशल, कम आय एवं कम उत्पादकता वाले प्रवासी कामगार होते हैं। चिंता का दूसरा मुद्दा लिंगीय मजदूरी का अंतर है, जिसके लिए हो सकता है विभिन्न कारक जिम्मेदार हों, जैसे अत्यधिक कम मजदूरी अदा करने वाले उद्योगों में महिलाओं की सघनता, और कौशल एवं कार्य अनुभव में अंतर, लेकिन हो सकता है ऐसा भेदभाव के कारण भी हो। श्रम बाजार लैंगिक अंतर विकासशील देशों में अधिक हैं, तथा ये व्यावसायिक पृथक्करण में लैंगिक पैटर्नों के द्वारा और खराब हो जाते हैं। महिलाओं के अधिकतर काम सैक्टरों के सीमित दायरे में केंद्रित होते हैं तथा इनमें भी अधिकतर कमजोर एवं असुरक्षित होते हैं।

हालांकि, यह एक तथ्य है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को पुरुषों के योगदान के मुकाबले कम करके आंका जाता है तथा तोड़–मरोड़ कर पेश किया जाता है। उपलब्ध आंकड़े पक्षपातपूर्ण हैं तथा ये देश की अर्थव्यवस्था एवं इसके मानव संसाधनों की प्रकृति की विकृत धारणा को बनाए रखने में योगदान करते हैं, तथा अनुचित विचारों, नीतियों एवं कार्यक्रमों की वजह से पुरुषों एवं महिलाओं के बीच असमानता के दुश्चक्र को स्थिरता प्रदान करते हैं। अतः सांख्यिकीय आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करना एवं लैंगिक सरोकारों का पता लगाना जरूरी हो जाता है। महिलाओं द्वारा सामना की जा रही बाधाओं को देखते हुए सभी के पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार और उत्तम कार्य के नये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है।

समावेशी विकास एवं नीतियों के बारे में पर्याप्त समानता जागरूकता प्राप्त करने के लिए कौशल विकास, क्षमता निर्माण, सामाजिक संवाद तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से सशक्तिकरण केंद्र के कुछ प्रयास होंगे। इस रूपरेखा के भीतर संस्थान की गतिविधियों में संस्थान की स्थिति को लिंग

एवं विशेषकर महिलाओं के श्रम पर अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पक्षसमर्थन के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान बनाने की संकल्पना की गयी है।

पूरी की गई परियोजनाएं

1. कार्य एवं रोजगार में लैंगिक आयामः यौन उत्पीड़न का मामला

mnn' ;% इस अध्ययन का व्यापक उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर विद्यमान यौन उत्पीड़न नीतियों का मूल्यांकन करना था। अध्ययन में विशेष रूप से निम्न पर ध्यान दिया गयाः

- यौन उत्पीड़न पर नियोक्ता परिप्रेक्ष्य
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु मौजूदा तंत्र
- दिल्ली/एनसीआर में यौन उत्पीड़न के सूचित मामले
- यौन उत्पीड़न का प्रभाव

यह रिपोर्ट प्रकाशित कर ली गई है और इसका विमोचन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 08 मार्च 2016 को किया गया।

अनुसंधान परियोजना के परिणाम

क्षेत्र अध्ययनों एवं टिप्पणियों के आधार पर सिफारिशेंः

- आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण आवश्यक है, इससे उन्हें अपने कार्यों का संचालन पेशेवर तरीके से करने में मदद मिलेगी।
- आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों के बारे में सूचना एवं नीतियों का विभिन्न भाषाओं में संचलन से कार्यस्थल पर आबादी के विभिन्न वर्गों को लाने में मदद मिलेगी।
- संगठनों का जेंडर ऑडिट नियमित तौर पर कराने से संवेदीकरण करने में और लिंग संवेदी कार्यस्थल की प्रतिबद्धता में मदद मिलेगी।
- प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विभिन्न भाषाओं में विकसित करने से पितृसत्तात्मक मानसिकता को बदलने में मदद मिलेगी।
- कार्यस्थल में आचार संहिता पर नये भर्ती एवं नव–नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण
- कर्मचारियों को नियमित तौर पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण
- साक्षात्कार मंडलों में लिंग संवेदी प्रमुखों के द्वारा संगठन के प्रमुख के तौर पर लिंग संवेदी प्रमुख की नियुक्ति। इसका प्रत्यावर्ती प्रभाव होगा।
- स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) का समयबद्ध गठन, इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यु एंड सीडी) को अनुदेश प्रसारित करना आवश्यक है।
- इस विषय पर सुलह के उपनियम को विशेषज्ञों द्वारा सावधानीपूर्वक अपनाने की जरूरत है क्योंकि ऐसा न करने पर पीड़ितों का मजाक उड़ेगा और इससे वे भावनात्मक तौर पर अधिक

व्यथित होंगे। इसलिए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि समिति के स्वतंत्र सदस्यों को सुलह में विशेषज्ञता प्राप्त हो और यह कि शिकायत समिति सुलह के लिए लिखित आवेदन से अलग अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करे कि कैसे यह मामला सुलह के लिए एक उपयुक्त मामला प्रतीत होता है।

- आंतरिक शिकायत समिति में व्यवहार विशेषज्ञों को शामिल करने से समिति की विशेषज्ञता विस्तृत होगी।
- यदि आवश्यक हो, प्रशिक्षित लिंग संवेदी प्रबंधन को आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का हिस्सा होना चाहिए।

(परियोजना निदेशकः डॉ. शशि बाला, फेलो)

2. महिलाओं के कार्यः पूर्वोत्तर भारत में निर्दिष्ट कार्यकलापों के साथ घरेलू कामों में महिलाओं की सहभागिता का लैंगिक विश्लेषण

अध्ययन की पृष्ठभूमिः

उपरोक्त अध्ययन में पूर्वोत्तर भारत में रोजगार के लैंगिक आयामों का विश्लेषण करने की कोशिश की गई तथा इसमें महिलाओं के काम की गतिकी का पता लगाया गया। इससे पुरुषों एवं महिलाओं के कामकाजी जीवन में लैंगिक भेदभाव के कारणों की महत्वपूर्ण समझ पाना संभव हुआ। इस अध्ययन में भारत में, और खासकर पूर्वोत्तर समाज में अवैतनिक काम की अवधारणा पर विचार किया गया तथा महिलाओं के काम की व्याख्या में आंतर–पारिवारिक गतिकी तथा संस्कृति एवं पुरुषों व महिलाओं की विभेदक सहभागिता के लिए जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया।

उद्देश्य

- पूर्वोत्तर में महिलाओं के काम की बदलती प्रवृत्ति का विश्लेषण करना।
- इस क्षेत्र में मौजूद उन विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भों एवं व्यवहारों का पता लगाना जिनका महिलाओं की कामकाजी जिंदगी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- श्रम और सांस्कृतिक प्रथाओं पर परिवारों के विभाजन के संदर्भ में रोजगार, अवैतनिक देखभाल कार्य तथा पारिवारिक जीवन की गतिकी को समझना, इस प्रकार पारिवारिक कामों के आबंटन में सामाजिक मानदंडों की भूमिका का पता लगाना।
- महिलाओं की अर्थिक सहभागिता के लिए मौजूदा नीतियों को समझना तथा श्रम बाजार में महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए उठाये जाने वाली नीतिगत पहलों का पता लगाना।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को अप्रैल 2015 में शुरु, एवं मार्च 2016 में पूरा किया गया था

अनुसंधान अध्ययन का परिणाम

इस अध्ययन में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में महिलाओं के काम एवं आर्थिक सहभागिता में सुधार के लिए नीतिगत सिफारिशें की गईं। विशिष्ट नीतिगत आदानों (सामग्री) में श्रम बल सर्वेक्षणों में लिंग को मुख्यधारा में लाना, समय–उपयोग सर्वेक्षण के संचालन सहित समय का पुनर्वितरण, शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण पर जोर देना, परिवहन एवं बेहतर बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान तथा जेंडर बजटिंग का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एलीना सामंतराय, एसोसिएट फेलो)

जारी परियोजना

1. शिक्षा एवं कार्यजगत में अंतरालः एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य

उद्देश्य

- विकसित एवं विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में नामांकन पैटर्न की समीक्षा करना
- राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में नामांकन पैटर्न – अंतर्राज्यीय तुलना की समीक्षा करना
- पिछले 10 वर्षों के दौरान पास आउट होने वाले छात्रों की रोजगारपरकता (अंशकालिक, पूर्णकालिक, गृहिणी आदि) की समीक्षा करना
- ऐसे पाठ्यक्रमों, जो सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण से संबद्ध या मान्यताप्राप्त न हों, में पास आउट होने वाले छात्रों की रोजगारपरकता की समीक्षा
- शिक्षा और नौकरी के बीच विद्यमान असंतुलन की पहचान करना
- समान कार्य के लिए मजदूरियों में अंतर की पहचान करना
- शिक्षा और नौकरी के बीच असंतुलन के कारणों का पता लगाना
- रोजगार में पहले प्रवेश के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा का पता लगाना
- काम की प्रकृति (स्थायी, अनियत) का पता लगाना
- शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी पाने तक का समय अंतराल
- समावेशी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने में अच्छी प्रथाओं वाले कतिपय संस्थानों पर फोकस करना।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

जुलाई 2015 से मई 2016

(परियोजना निदेशकः डॉ. शशि बाला, फेलो)

पूर्वोत्तर केंद्र

उत्तर–पूर्व क्षेत्र (एनईआर) का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.9 प्रतिशत है और यहां की आबादी देश की कुल आबादी का 3.8 प्रतिशत है (जनगणना, 2011)। यह क्षेत्र पूर्वी भाग में हिमालय की तलहटी में फैला हुआ है और बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल एवं म्यांमार से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में 08 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा हैं। ऐतिहासिक और भौगोलिक–राजनैतिक कारणों की वजह से एनईआर देश के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक है। कम उत्पादकता एवं बाजार तक कम पहुंच के साथ यहां पर अवसंरचना एवं शासन भी ठीक नहीं हैं।

एनईआर में कार्यबल भारत के कुल कार्यबल का 3.6 प्रतिशत है (2009–10)। एनईआर में श्रम परिदृश्य कई कारणों (भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक) की वजह से देश के अन्य भागों की तुलना में अलग है। इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की दर कम है एवं आधुनिक सेवा क्षेत्र का यहां सीमित विस्तार हुआ है। यहां पर कृषि कार्य (झूमिंग जैसी विचित्र प्रणालियों की उपस्थिति के कारण) भी भिन्न हैं। श्रम बाजार प्रतिभागिता में सांस्कृतिक लोकाचार भी अलग है, जो अन्य बातों के साथ लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों में श्रम बल की विशिष्ट बनावट को दर्शाते हैं। फिर भी प्रवास एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो आबादी के आंतरिक प्रवास (क्षेत्र के अंदर एवं बाहर) के मामले के साथ–साथ श्रमिकों का राष्ट्र के अन्य भागों से अंतः प्रवेश के मामले में, विभिन्न सामाजिक–राजनैतिक विचारों के कारण और पेचीदा हो गया है।

इसी संदर्भ में संस्थान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नीति–उन्मुखी अनुसंधान करने, कार्यशालाएँ/सेमिनार आयोजित करने तथा श्रम, रोजगार एवं सामाजिक संरक्षण के मुद्दों पर प्रशिक्षण देने के लिए 2009 में एक नये केंद्र, पूर्वोत्तर केंद्र (सीएनई) की स्थापना की।

केंद्र के प्रमुख अनुसंधान विषय

- रोजगार एवं बेरोजगारी प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां
- लिंग एवं रोजगार
- प्रवास एवं विकास
- सामाजिक सुरक्षा
- स्वास्थ्य एवं श्रम
- आजीविका नीतियां

- क्षेत्रक विश्लेषण
- कौशल–अंतर अध्ययन
- औद्योगिक संबंध एवं विनियमन
- श्रमिकों एवं कामगारों के आंदोलन का समाजशास्त्र

केंद्र के प्रमुख प्रशिक्षण विषय

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्षित समूहों में श्रम अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के महिला कामगार एवं प्रतिनिधि, एनजीओ/सिविल सोसायटी, विश्वविद्यालय के छात्र एवं अनुसंधानकर्ता हैं। केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कुछ प्रमुख विषय निम्न प्रकार हैं:

- कौशल विकास एवं रोजगार सृजन
- श्रम कानूनों की मौलिकता
- महिला कामगारों से संबंधित श्रम मुद्दों एवं कानूनों पर जागरूकता सुदृढ़ीकरण
- ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम
- सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा
- असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन
- श्रम अध्ययन में अनुसंधान विधियां
- श्रम और वैश्वीकरण का समाजशास्त्र

पूरी की गई परियोजनाएं

1. बच्चों के रोजगार की गतिशीलता एवं सामाजिक –आर्थिक वास्तविकता: मेघालय के ईस्ट एवं वेस्ट जैंतिया हिल्स जिलों में खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों का अध्ययन

''बच्चों के रोजगार की गतिशीलता एवं सामाजिक–आर्थिक वास्तविकता: मेघालय के ईस्ट एवं वेस्ट जैंतिया हिल्स जिलों में खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों का अध्ययन'' अनुसंधान अध्ययन करने का कार्य श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) को श्रम और रोजगार विभाग, मेघालय सरकार द्वारा सौंपा गया था। यह अध्ययन डॉ. हेलन आर. सेकर, श्री ओतोजीत क्षेत्रिमयूम (वीवीजीएनएलआई, नौएडा) और डॉ. देग्रैसिया नॉन्गक्रिह (नेहू, शिलॉन्ग) का सहयोगात्मक प्रयास था।

उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य मेघालय के ईस्ट एवं वेस्ट जैंतिया हिल्स जिलों के गांवों, जहां पर कोयला खनन प्रमुख व्यवसाय है, में बाल श्रम की व्यापकता की जांच करना था। इसके लिए ईस्ट एवं वेस्ट जैंतिया हिल्स जिलों के 100 गांवों को चुना गया। गांवों का चयन मेघालय सरकार द्वारा वर्ष 2013 में ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए जोखिम मानचित्रण सर्वेक्षण के आधार पर किया गया। जोखिम मानचित्रण सर्वेक्षण राज्य के 11 जिलों के 6168 गांवों (39 सी एंड आरडी ब्लॉक एवं 578 ग्राम सेवक मंडल) में किया गया। इस सर्वेक्षण में उन गांवों, जहां पर बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत प्रतिबंधित व्यवसाय एवं प्रक्रियाएं चल रहे थे, का पता लगाने का प्रयास किया गया।

कार्यप्रणाली

इन चयनित गांवों का सर्वेक्षण 544 क्षेत्र अन्वेषकों के माध्यम से नवम्बर 2013 से जनवरी 2014 तक किया गया। क्षेत्र अन्वेषकों में सरकारी अधिकारी, शिक्षक एवं ईस्ट एवं वेस्ट जैंतियां हिल्स जिलों के शिक्षित ग्रामीण शामिल थे। क्षेत्र अन्वेषकों को डाटा संग्रहण की विधि पर प्रशिक्षण दिया गया था। इस अध्ययन में कुल 22,191 परिवारों को शामिल किया गया। इनकी आबादी 1,32,636 थी, जिनमें 66,931 पुरुष (50.5 प्रतिशत) तथा 65,680 (49.5 प्रतिशत) महिलाएं थीं। सर्वेक्षण में परिवारों, कार्यस्थलों, श्रम शिविरों एवं कोयला खनन स्थलों/डिपों को कवर किया गया।

अनुसंधान परियोजना का परिणाम

1,32,636 की प्रतिदर्श आबादी में 66,921 बच्चे थे। सर्वेक्षण के द्वारा ज्ञात कामकाजी बच्चों की संख्या 3041 थी जिनमें से 2242 अर्थात 3.3 प्रतिशत बच्चे पूर्णकालिक कामकाजी बच्चे (केवल काम करने वाले–ओडब्ल्यु); 59 बच्चे अर्थात 0.1 प्रतिशत बच्चे ऐसे थे जो स्कूल जाने के साथ–साथ काम कर रहे थे (एएसडब्ल्यु) तथा 740 बच्चे अर्थात 1.2 प्रतिशत बच्चे ऐसे थे जो न तो स्कूल जा रहे थे और न ही काम (एनएसएनडब्ल्यु) कर रहे थे।

सर्वेक्षण किये गये गांवों में श्रम बल सहभागिता कुल आबादी का 36.79 प्रतिशत थी जिसमें 22. 95 प्रतिशत पुरुष एवं 13.83 प्रतिशत महिलाएं थीं। बेरोजगारी की दर 2.43 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, रोजगार का विस्तार अनियत श्रमिकों (51.28 प्रतिशत) तथा स्व–रोजगार (21.95 प्रतिशत) तक सीमित था। सर्वेक्षण में पाया गया कि 22,921 उत्तरदाताओं में से 1951 (8.8 प्रतिशत) प्रवासी थे, जिनमें से 507 (2.3 प्रतिशत) मेघालय के अन्य गांवों से (आंतर–राज्यीय प्रवासी), 1286 (5.8 प्रतिशत) भारत के अन्य राज्यों से (अंतर्राज्यीय प्रवासी) तथा 149 (0.7 प्रतिशत) नेपाल से (अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी) थे।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को अक्टूबर 2013 में शुरु, एवं सितम्बर 2015 में पूरा किया गया।

(यह अध्ययन पूर्वोत्तर केंद्र एवं राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।)

(परियोजना निदेशकः डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एसोसिएट फेलो एवं डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो)

2. पूर्वोत्तर भारत में महिलाएं एवं उद्यमिता पर अध्ययनः मणिपुर में एक उद्यम के रूप में हथकरघा

इस अध्ययन में मणिपुर में महिला हथकरघा उद्यमिता में वृद्धि की जांच की गयी। यह राज्य पूर्वोत्तर भारत के उन राज्यों में से एक है जहां पर हथकरघा एक पारंपरिक शिल्प से उद्योग में रूपांतरित हुआ है और महिला उद्यमी पर इसका प्रभाव पड़ा है। इंफाल ईस्ट जिला, मणिपुर में महिला हथकरघा उद्यमियों अथवा मास्टर बुनकरों का मामला अध्ययन किया गया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य हथकरघा उद्यमियों के उद्यमशील कामकाज का अध्ययन करना एवं यह समझना था कि कैसे वे अपने उत्पादों को उन बाजारों में बेच पाते हैं जहां पर सहकारी समितियां नहीं बेच पाती हैं। इस अध्ययन में पाया गया कि मणिपुर के हथकरघा उद्योग में महिला उद्यमिता बदलते सामाजिक एवं राजनैतिक ढांचे से तथा आपूर्ति के मामले में बाजार के विस्तारीकरण एवं मांग के मामले में बुनाई की संस्कृति के गुणों से जुड़ी हुई है। यह महत्वपूर्ण है कि इस अध्ययन में सभी महिला उद्यमियों ने महसूस किया कि वे इस अर्थ में आर्थिक तौर पर सशक्त हैं कि वे न केवल अपने लिए अपितु उनके उद्यमों में लगे लोगों के लिए भी आय सृजन के लिए अपना उद्यम शुरु करने का प्रयास कर रही हैं। यह अध्ययन एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला सं. 116/2016 के तौर पर प्रकाशित हो चुका है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एसोसिएट फेलो)

प्रशिक्षण और शिक्षा (2015–16)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की जानकारी को बढ़ावा देने तथा उन पर काबू पाने के उपायों और साधनों का पता लगाने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए यह संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा संगठित तरीके से श्रमिकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। जबकि अनुसंधान गतिविधियों के द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ विभिन्न वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग नए प्रशिक्षण कार्यक्रम परिकल्पित करने तथा मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षण मॉड्यूलों को पुनः अभिकल्पित करने के साथ–साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने के लिए इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले फीडबैक का प्रयोग किया जाता है।

संस्थान के शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन को भावी साधन माना जा सकता है। ये कार्यक्रम सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर ऐसे नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का निर्माण कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मनोवृत्ति के परिवर्तन, कुशलता के विकास तथा ज्ञान की दृष्टि पर समान रूप से बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, वैयक्तिक अध्ययनों तथा व्यवहार विज्ञान तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। संस्थान की फैकल्टी के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए गेस्ट फैकल्टी को भी आमंत्रित किया जाता है।

संस्थान निम्नलिखित समूहों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता हैं;

- केंद्र, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा विदेशों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारी,
- सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधक एवं अधिकारी,
- असंगठित/संगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन नेता तथा आयोजक, और
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्र कार्यकर्ता तथा श्रम मुद्दों से सम्बद्ध अन्य व्यक्ति।

वर्ष 2015–16 के दौरान संस्थान ने 126 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और इन कार्यक्रमों में 3656 कार्मिकों ने भाग लिया।

इसके अलावा, संस्थान ने निम्नलिखित पहल शुरू कीं;

श्रम प्रशासन कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों को केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम प्रशासकों और अधिकारियों के लिए तैयार किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत श्रम प्रशासन, सुलह, श्रम कल्याण, प्रवर्तन, अर्धन्यायिक कार्य, वैश्वीकरण तथा रोजगार संबंध से संबंधित अनेक विषय शामिल हैं। ऐसे 07 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 133 सहभागियों ने भाग लिया।

औद्योगिक संबंध कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, औद्योगिक संबंध और अनुशासनिक पद्धतियों के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक, दोनों पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरकार, नियोक्ताओं और यूनियनों के बीच बेहतर विचार–विमर्श के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों, मानव संसाधन अधिकारियों और ट्रेड यूनियन नेताओं को सहभागिता प्रबंधन की जानकारी प्रदान की जाती है। ऐसे 07 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 158 सहभागियों ने भाग लिया।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ये कार्यक्रम श्रम के क्षेत्र में प्रशिक्षण तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, ये कार्यक्रम औद्योगिक और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की ट्रेड यूनियनों के संगठनकर्ताओं और श्रमिकों के लिए तैयार किए जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते हैं ताकि अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे 48 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 1484 सहभागियों ने भाग लिया।

बाल श्रम कार्यक्रम

ये कार्यक्रम, बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन समूहों में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन, एनसीएलपी अधिकारी, समाज कार्य के विद्यार्थी, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। ऐसे 05 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 250 सहभागियों ने भाग लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु सूचीबद्ध है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न विषयों जैसे कि लिंगीय मुद्दे, श्रम प्रशासन एवं रोजगार संबंध, नेतृत्व विकास, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान विधियां, स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा पर 07 अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें कुल मिलाकर 134 विदेशी नागरिकों ने भाग लिया।

वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस (एआईएलएच) के सहयोग से 'श्रम इतिहास' पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 21–23 मार्च 2016 के दौरान किया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था 'श्रमिक, श्रम और मध्यस्थता'। इस सम्मेलन में 121 भारतीय एवं विदेशी विद्वानों ने भाग लिया। सम्मेलन में लगभग 50 शोध–पत्र प्रस्तुत किए गए एवं उन पर चर्चा की गई।

इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ 'मेटामोर्फजेज' (आईसीएएसः एमपी) और एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस (एआईएलएच) के सहयोग से 'क्रोनोलोजीज़ ऑफ लेबरः अ ग्लोबल पर्सपेक्टिब' पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 22–23 जनवरी 2016 को किया गया। इस कार्यशाला में 40 ख्यातिप्राप्त इतिहासकारों ने भाग लिया, उन्होंने लंबी बीसवीं शताब्दी में एक राजनैतिक श्रेणी के तौर पर 'श्रम' की अस्थायी गतिशीलता पर चर्चा की।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम एवं रोजगार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य पणधारियों के लिए विशेष रूप से परिकल्पित कार्यक्रमों पर जोर देता है। इस कमी को पूरा करने के लिए संस्थान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर वर्ष इन कार्यक्रमों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने उपरोक्त विषयों पर 13 कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 336 कार्मिकों ने भाग लिया।

अनुसंधान विधि कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के युवा अध्यापकों एवं अनुसंधानकर्त्ताओं के साथ.साथ सरकारी संगठनों में वृत्तिकों की श्रम अनुसंधान एवं नीति में रुचि बढ़ाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे 03 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 59 सहभागियों ने भाग लिया।

सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने समान उद्देश्य वाले संस्थानों तथा राज्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्किंग तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, ताकि श्रम बाजार की क्षेत्रीय और सेक्टोरल विषमताओं की तरफ ध्यान दिया जा सके और श्रमिकों की समस्त समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान खोजा जा सके।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान, महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान मुबंई, तमिलनाडु श्रम अध्ययन संस्थान चेन्नई, एनसीडीएस भुवनेश्वर, महात्मा गाँधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात, राज्य श्रम संस्थान, पश्चिम बंगाल, एसएलआई ओडिशा के सहयोग से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और आजीविका, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान विधियां, श्रमिक

मुद्दों, बाल श्रमिकों को मुक्त करना एवं उनका पुनर्वास आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कुल मिलाकर ऐसे 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 428 सहभागियों ने भाग लिया।

आन्तरिक कार्यक्रम

संस्थान ने विभिन्न आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जो संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये कार्यक्रम हैं। संस्थान ने ऑयल इंडिया लिमिटेड असम, मुख्य श्रमायुक्त का कार्यालय (केंद्रीय), नेवल आर्मामेंट डिपो विशाखापत्तनम, उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, एनटीपीसी लिमिटेड तल्चर ओडिशा के लिए कुल मिलाकर 25 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। कुल मिलाकर 514 प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की।

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रमनिदेशक
श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी)				
1.	असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन 22 – 26 जून 2015	05	21	संजय उपाध्याय
2.	महिलाओं से संबंधित श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन, 27 – 31 जुलाई 2015	05	19	शशि बाला
3.	गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन की दिशा में: चुनौतियां एवं विकल्प, 03 – 06 अगस्त 2015	04	30	एस. के. शशिकुमार
4.	स्वास्थ्य कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन 10 – 14 अगस्त 2015	05	18	रूमा घोष
5.	वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रम प्रशासनः नये घटनाक्रम एवं दृष्टिकोण, 01 – 04 सितम्बर 2015	05	08	एस. के. शशिकुमार
6.	प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन 25 – 29 जनवरी 2016	05	28	संजय उपाध्याय
7.	अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी – भूमिका और कार्य 01 – 04 मार्च 2016	04	09	संजय उपाध्याय
औद्योगिक संबंध कार्यक्रम (आईआरपी)				
8.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना 13 – 18 अप्रैल 2015	06	25	पूनम एस. चौहान
9.	वैश्विक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक संबंध एवं ट्रेड यूनियनवाद, 06 – 09 जुलाई 2015	05	47	एस. के. शशिकुमार
10.	कार्य का प्रभावी प्रबंधनः व्यवहारवादी दृष्टिकोण 28 सितम्बर – 01 अक्टूबर 2015	04	21	पूनम एस. चौहान
11.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना 14 – 19 सितम्बर 2015	06	33	पूनम एस. चौहान

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रमनिदेशक
12.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना 02 – 07 नवम्बर 2016	06	11	पूनम एस. चौहान
13.	कार्य में उत्कृष्टता के लिए सकारात्मक व्यवहार विकसित करना, 11 – 15 जनवरी 2016	05	11	पूनम एस. चौहान
14.	कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न पर कार्रवाई करना 25 – 29 जनवरी 2016	05	10	शशि बाला
क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी)				
15.	श्रम में लिंगीय मुद्दे 06 – 10 अप्रैल 2015	05	22	एलीना सामंतराय
16.	मीडिया सैक्टर के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 20 – 24 अप्रैल 2015	05	29	पी. अमिताभ खुंटिआ
17.	विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुशासन, 06 – 10 अप्रैल 2015	05	12	पी. अमिताभ खुंटिआ
18.	सीबीडब्ल्युई के शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण कौशलों को बढ़ाना, 27 – 30 अप्रैल 2015	04	20	पूनम एस. चौहान
19.	कौशल विकास एवं बाल श्रम 10 अप्रैल 2015	01	40	जे. के. कौल
20.	ग्रामीण महिला संगठनकर्ताओं को सशक्त बनाना, 11 – 15 मई 2015	05	20	एलीना सामंतराय
21.	प्रवास तथा विकासः मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य 05 – 08 मई 2015	04	26	एस. के. शशिकुमार
22.	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा 25 – 29 मई 2015	05	42	पूनम एस. चौहान
23.	सीबीडब्ल्युई के शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण कौशलों को बढ़ाना, 05 – 08 मई 2015	04	28	पूनम एस. चौहान

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रमनिदेशक
24.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 08 – 12 जून 2015	05	32	पी. अमिताभ खुंटिआ
25.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 13 – 17 जुलाई 2015	05	27	एलीना सामंतराय
26.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 06 – 10 जुलाई 2015	05	57	पूनम एस. चौहान
27.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 20 – 24 जुलाई 2015	05	30	पूनम एस. चौहान
28.	मत्स्यपालन कर्मकारों के नेताओं/ संगठनकर्ताओं के नेतृत्व कौशल बढ़ाना, 20 – 24 जुलाई 2015	05	12	पूनम एस. चौहान
29.	पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका प्रबंधन एवं सामाजिक संरक्षण, 13 – 17 जुलाई 2015	05	40	पी. अमिताभ खुंटिआ
30.	प्रवास तथा विकासः मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य 13 – 16 जुलाई 2015	04	23	राखी थिमोथी
31.	कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न पर कार्रवाई करना 06 – 10 जुलाई 2015	05	33	शशि बाला
32.	लिंग, कार्य और सामाजिक संरक्षण 24 – 28 अगस्त 2015	05	33	एलीना सामंतराय
33.	निर्माण उद्योग में उत्तम कार्य को बढ़ावा देना 03 – 07 अगस्त 2015	05	36	पी. अमिताभ खुंटिआ
34.	आईएएमआर के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए बाल श्रम की रोकथाम पर कार्यक्रम, 21 अगस्त 2015	01	14	हेलन आर. सेकर
35.	श्रम और रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए श्रम बाजार, श्रम सुधार पर कार्यक्रम, 25 अगस्त 2015	01	50	एस. के. शशिकुमार

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रमनिदेशक
36.	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास कार्यनीतियां विकसित करना 21 – 25 सितम्बर 2015	05	34	शशि बाला
37.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 01 – 04 सितम्बर 2015	04	25	पूनम एस. चौहान
38.	सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा 07 – 11 सितम्बर 2015	05	28	रूमा घोष
39.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 19 – 23 अक्टूबर 2015	05	42	पूनम एस. चौहान
40.	लिंग, श्रम कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर उभरते परिदृश्य, 26 – 30 अक्टूबर 2015	05	29	एलीना सामंतराय
41.	श्रम और विकास मुद्दों पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 05 – 09 अक्टूबर 2015	05	33	पी. अमिताभ खुंटिआ
42.	सीबीडब्ल्युई के शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण कौशलों को बढ़ाना, 26 – 30 अक्टूबर 2015	05	13	पूनम एस. चौहान
43.	आईएएमआर के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए वैश्वीकरण के बाद के युग में श्रम मुद्दे, 23 अक्टूबर 2015	01	15	हेलन आर. सेकर
44.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 21 – 24 दिसम्बर 2015	04	44	संजय उपाध्याय
45.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 14 – 18 दिसम्बर 2015	05	21	पूनम एस. चौहान
46.	श्रम संबंधी मुद्दे एवं सामाजिक सुरक्षा (एमआईएलएस), 04 दिसम्बर 2015	01	20	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
47.	वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रम एवं रोजगार संबंध (एनसएसटीए), 29 दिसम्बर 2015	01	20	एस के. शशिकुमार शशि बाला

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रमनिदेशक
48.	ग्रामीण महिला संगठनकर्ताओं को सशक्त बनाना 18 – 22 जनवरी 2016	05	28	शशि बाला
49.	नेतृत्व कौशल बढ़ानाः बीड़ी कर्मकार 04 – 08 जनवरी 2016	05	55	पूनम एस. चौहान
50.	नेतृत्व कौशल बढ़ानाः परिवहन कर्मकार 18 – 22 जनवरी 2016	05	30	पूनम एस. चौहान
51.	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा 25 – 29 जनवरी 2016	05	29	पूनम एस. चौहान
52.	निर्माण कामगारों के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना, 06 – 08 जनवरी 2016	03	30	पी. अमिताभ खुंटिआ
53.	लिंग और सामाजिक सुरक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 01 – 05 फरवरी 2016	05	06	शशि बाला
54.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 08 – 12 फरवरी 2016	05	34	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
55.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 15 – 19 फरवरी 2016	05	47	पूनम एस. चौहान
56.	लिंग, गरीबी और रोजगार 15 – 19 फरवरी 2016	05	15	शशि बाला
57.	राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए), 05 फरवरी 2016	01	45	एस. के. शशिकुमार शशि बाला
58.	वीवीजीएनएलआई स्टाफ के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर प्रशिक्षण कार्यशाला 29 फरवरी 2016	01	80	एलीना सामंतराय
59.	लिंग और सामाजिक सुरक्षा 28 – 31 मार्च 2016	04	17	शशि बाला

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रमनिदेशक
60.	बीड़ी कामगारों के नेतृत्व कौशलों को सुदृढ़ करना, 07 – 11 मार्च 2016	05	19	पूनम एस. चौहान
61.	लिंग, अनौपचारिकता एवं गरीबी 14 – 18 मार्च 2016	05	20	एलीना सामंतराय
62.	यौन उत्पीड़न पर लिंग संवेदी कार्य जगत 08 मार्च 2016	01	70	शशि बाला
अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)				
63.	कौशल विकास एवं रोजगार सृजन 10 – 28 अगस्त 2015	19	17	पी. अमिताभ खुंटिआ
64.	एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास प्रबंधन एवं सामाजिक संरक्षण, 01–18 सितम्बर 2015	18	10	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
65.	नेतृत्व विकासों को बढ़ाना 05 – 23 अक्टूबर 2015	19	22	पूनम एस. चौहान
66.	एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रम और रोजगार संबंध 02 – 20 नवम्बर 2015	19	13	एस. के. शशिकुमार
67.	कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दे 01 – 18 दिसम्बर 2015	18	23	शशि बाला
68.	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान विधियां 08 – 26 फरवरी 2016	19	25	एस. के. शशिकुमार
69.	स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कार्यों का संरक्षण 01 – 18 मार्च 2016	18	24	रूमा घोष
70.	श्रम का कालक्रमः एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, 22 – 23 जनवरी 2016	02	40	एस. के. शशिकुमार
71.	श्रम इतिहास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 21 – 23 मार्च 2016	03	102	एस. के. शशिकुमार

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रमनिदेशक
अनुसंधान विधि कार्यक्रम (आरएमपी)				
72.	श्रम और वैश्वीकरण के समाजशास्त्र पर पाठ्यक्रम, 08 – 19 जून 2015	12	12	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
73.	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान विधियों पर पाठ्यक्रम, 14 – 25 सितम्बर 2015	12	21	पी. अमिताभ खुंटिआ
74.	श्रम में लैंगिक मुद्दों पर अनुसंधान विधियों पर पाठ्यक्रम, 16 – 27 नवम्बर 2015	12	26	एलीना सामंतराय
बाल श्रम कार्यक्रम (सीएलपी)				
75.	भारत में बाल श्रम का समाधान करने में शैक्षिक कार्यनीतियों का पता लगाना, 12 जून 2015	01	80	हेलन आर. सेकर
76.	बंधुआ मजूदरी, बेगार एवं बाल श्रम की सुभेद्यता समाप्त करने की दिशा में, 01 – 04 जून 2015	04	30	हेलन आर. सेकर
77.	वीवीजीएनएलआई में सीएलपीआरए संशोधनों के सकारात्मक पहलू, 03 जुलाई 2015	01	40	हेलन आर. सेकर
78.	गौतमबुद्ध नगर में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारः वास्तविकता एवं अनुक्रिया, 07 अगस्त 2015	01	50	हेलन आर. सेकर
79.	भारत में बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए प्रभावी कार्यनीतियां एवं तकनीक विकसित करना 29 – 30 सितम्बर 2015	02	50	हेलन आर. सेकर
आन्तरिक कार्यक्रम				
80.	कार्य का प्रभावी ढंग से प्रबंधनः ऑयल इंडिया लिमिटेड, असम के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण 20 – 24 अप्रैल 2015	05	21	पूनम एस. चौहान

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रमनिदेशक
81.	सीएलसी (सी) के क्षेत्रीय कार्यालयों के नव–पदोन्नत कार्यालय अधीक्षकों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण 30 मार्च – 10 अप्रैल 2015	12	19	पूनम एस. चौहान
82.	सीएलएस अधिकारियों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण 30 मार्च – 08 मई 2016	41	15	जे. के. कौल संजय उपाध्याय
83.	नेवल आर्मामेंट डिपो के आईएनएएस काडर अधिकारियों के लिए प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध, 18 – 27 मई 2015	10	15	पूनम एस. चौहान
84.	ऑयल इंडिया लिमिटेड, असम के लिए कार्य का प्रभावी ढंग से प्रबंधनः एक व्यावहारिक दृष्टिकोण 15 – 19 जून 2015	05	23	पूनम एस. चौहान
85.	उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के लिए श्रम कानून प्रवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 – 26 जून 2015	12	21	किंगशुक सरकार
86.	ऑयल इंडिया लिमिटेड, असम के लिए कार्य का प्रभावी ढंग से प्रबंधनः एक व्यावहारिक दृष्टिकोण 27 – 31 जुलाई 2015	05	21	पूनम एस. चौहान
87.	ऑयल इंडिया लिमिटेड, असम के लिए कार्य का प्रभावी ढंग से प्रबंधनः एक व्यावहारिक दृष्टिकोण 10 – 14 अगस्त 2015	05	28	पूनम एस. चौहान
88.	ऑयल इंडिया लिमिटेड, असम के लिए कार्य का प्रभावी ढंग से प्रबंधनः एक व्यावहारिक दृष्टिकोण 21 – 25 सितम्बर 2015	05	19	पूनम एस. चौहान
89.	सीएलएस अधिकारियों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 14 सितम्बर – 04 दिसम्बर 2015	82	25	किंगशुक सरकार
90.	आरबीआई, मुबंई के अधिकारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल 23 – 27 नवम्बर 2015	05	29	पूनम एस. चौहान

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रमनिदेशक
91.	ऑयल इंडिया लिमिटेड, असम के लिए कार्य का प्रभावी ढंग से प्रबंधनः एक व्यावहारिक दृष्टिकोण, 21 – 25 सितम्बर 2015	05	19	पूनम एस. चौहान
92.	आरबीआई, मुबंई के अधिकारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल 07 – 11 दिसम्बर 2015	05	30	पूनम एस. चौहान
93.	आरबीआई, मुबंई के अधिकारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल 14 – 18 दिसम्बर 2015	05	29	पूनम एस. चौहान
94.	आरबीआई, मुबंई के अधिकारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल 01 – 05 फरवरी 2016	05	30	पूनम एस. चौहान
95.	आरबीआई, मुबंई के अधिकारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल 08 – 12 फरवरी 2016	05	30	पूनम एस. चौहान
96.	आरबीआई, मुबंई के अधिकारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल 22 – 26 फरवरी 2016	05	26	पूनम एस. चौहान
97.	आरबीआई, मुबंई के अधिकारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल 29 फरवरी – 04 मार्च 2015	05	30	पूनम एस. चौहान
98.	भारत में बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए प्रभावी कार्यनीतियां एवं तकनीक विकसित करना, 29 – 30 सितम्बर 2015	02	15	हेलन आर. सेकर
99.	आरबीआई, मुंबई के अधिकारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल 14 – 18 मार्च 2016	05	30	पूनम एस. चौहान

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रमनिदेशक
100	एनटीपीसी तल्चर, ओडिशा में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के लिए संघर्ष के समाधान एवं औद्योगिक अनुशासन के लिए सहभागी प्रबंधन, 28 – 29 मार्च 2016	02	25	पूनम एस. चौहान
101	एनटीपीसी तल्चर, ओडिशा में संघों के प्रतिनिधियों के लिए संघर्ष के समाधान एवं औद्योगिक अनुशासन के लिए सहभागी प्रबंधन, 30 मार्च 2016	01	10	पूनम एस. चौहान
उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए कार्यक्रम (एनईपी)				
102	श्रम कानूनों के मूल तत्व 20 – 24 अप्रैल 2015	05	23	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
103	उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए श्रम में लैंगिक मुद्दे 27 अप्रैल – 01 मई 2015	05	09	शशि बाला
104	श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन, 18 – 22 मई 2015	05	18	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
105	पूर्वोत्तर क्षेत्र के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 22 – 23 जून 2015	05	36	पूनम एस. चौहान
106	कौशल विकास और रोजगार सृजन 17 – 21 अगस्त 2015	05	36	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
107	श्रम कानूनों के मूल तत्व 17 – 21 अगस्त 2015	05	26	संजय उपाध्याय
108	लिंग, कार्य एवं सामाजिक संरक्षण 07 – 11 दिसम्बर 2015	05	29	एलीना सामंतराय
109	मणिपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से इंफाल में बेरोजगारी को शून्य करने हेतु युवाओं का कौशल विकास, 22 – 23 दिसम्बर 2015	02	35	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रमनिदेशक
110	श्रमिक मुद्दों पर जागरूकता सुदृढ़ीकरण 11 – 15 जनवरी 2016	05	25	एलीना सामंतराय
111	श्रम और वैश्वीकरण के समाजशास्त्र पर पाठ्यक्रम, 11 – 15 जनवरी 2016	05	10	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
112	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौशल विकास एवं सामाजिक संरक्षण, 22 7 26 फरवरी 2016	05	33	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
113	पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना, 28 – 31 मार्च 2016	04	24	पी. अमिताभ खुंटिआ
114	पूर्वोत्तर राज्यों की ट्रेड यूनियनों एवं एनजीओ के लिए श्रम के मूल तत्व, 28 – 31 मार्च 2016	04	32	संजय उपाध्याय
सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीटीपी)				
115	मजदूरी नियत करने पर क्षमता निर्माण कार्यशाला, 15 – 16 अप्रैल 2015	02	41	एस. के. शशिकुमार
116	श्रम विवादों के सुलह पर त्रिपक्षीय कार्यशाला (आईएलओ), 27 – 30 अप्रैल 2015	04	32	संजय उपाध्याय
117	श्रम में लैंगिक मुद्दे (एसएलआई, ओडिशा), 01 – 03 जुलाई 2015	03	28	एलीना सामंतराय
118	श्रम बाजार, कौशल एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक प्रवासन (आईएलओ) 19 नवम्बर 2015	01	40	एस. के. शशिकुमार
119	कौशल विकास के द्वारा युवाओं की रोजगारपरकता को बढ़ाना, एनसीडीएस, भुवनेश्वर, 28 दिसम्बर 2015 – 01 जनवरी 2016	05	35	पी. अमिताभ खुंटिआ
120	आईएलओ के साथ मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सामाजिक संरक्षण, 10 दिसम्बर 2015	01	55	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रमनिदेशक
121	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान विधियां (एमआईएलएस) मुंबई, 04 – 08 जनवरी 2016	05	30	रूमा घोष
122	बाल श्रम का मुकाबला: सामाजिक भागीदारों की भूमिका, एसएलआई, भुवनेश्वर, 02 – 04 फरवरी 2016	03	31	हेलन आर. सेकर
123	महिला कामगारों से संबंधित श्रम कानूनों पर जागरूकता का सुदृढ़ीकरण, एसएलआई, भुवनेश्वर, 03 – 05 फरवरी 2016	03	40	एलीना सामंतराय
124	श्रम अध्ययन में गुणात्मक एवं मात्रात्मक विधियां (एमजीएलआई), अहमदाबाद, 08–12 फरवरी 2016	05	40	शशि बाला
125	राज्य श्रम संस्थान (एसएलआई) के सहयोग से सिलीगुड़ी में बागाल कामगारों के लिए क्षमता वर्धन कार्यक्रम, 17 – 19 फरवरी 2016	03	26	रूमा घोष
126	एसएलआई ओडिशा में श्रम में लैंगिक मुद्दे 28 – 30 मार्च 2016	03	30	एलीना सामंतराय
		776	3656	

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रम के दिनों की सं.	सहभागियों की संख्या
1.	श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी)	07	33	133
2.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम(आईआरपी)	07	38	158
3.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी)	48	197	1484
4.	बाल श्रम कार्यक्रम (सीएलपी)	05	08	250
5.	अनुसंधान विधि कार्यक्रम आरएमपी)	03	36	59
6.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपी)	09	135	294
7.	पूर्वोत्तर कार्यक्रम (एनईपी)	13	60	336
8.	सहयोगात्मक कार्यक्रम (सीपी)	12	38	428
9.	आंतरिक कार्यक्रम (इनहाउस)	22	232	514
	जोड़	126	777	3656

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई) देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यन्त विख्यात पुस्तकालय–सह–प्रलेखन केंद्र है। केंद्र का नाम संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय (श्री) नीतिश आर. डे की स्मृति में 01 जुलाई 1999 को संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बदलकर एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र रखा गया था। केंद्र पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और अपने प्रयोगकर्त्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है:

1. भौतिक सम्पदा

iLrd# अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक पुस्तकालय में 158 किताबें/रिपोर्ट्स/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं खरीदी गयीं जिसके कारण पुस्तकालय में इन पुस्तकों/रिपोर्टों/सजिल्द पत्र–पत्रिकाओं की संख्या 64,805 तक पहुंच गई।

पत्र–पत्रिकाएं: पुस्तकालय ने इस अवधि के दौरान 185 व्यावसायिक पत्र–पत्रिकाओं, मैंगजीनों और अखबारों का मुद्रित और इलैक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में, नियमित रूप से अंशदान किया।

2. सेवाएं

पुस्तकालय निरंतर रूप से अपने उपभोक्ताओं के लिए निम्न सेवाएं बनाए रखता है;

- सूचना का चयनात्मक प्रचार–प्रसार (एसडीआई)
- वर्तमान जागरूकता सेवा
- ग्रन्थ विज्ञान सेवा

- आन–लाइन सेवा
- पत्रिकाओं का लेख सूचीकरण
- समाचार पत्रों के लेखों के कतरन
- माइक्रो फिच सर्च और प्रिंटिंग
- रिप्रोग्राफिक सेवा
- सीडी–रोम सर्च
- दृश्यश्रव्य सेवा
- वर्तमान विषय–वस्तु सेवा
- आर्टिकल अलर्ट सेवा
- लेंडिंग सेवा
- इंटर–लाइब्रेरी लोन सेवा

3. उत्पाद

पुस्तकालय प्रयोगकर्त्ताओं के लिए निम्नलिखित उत्पाद मुद्रित रूप में उपलब्ध करता है;

- **आवधिक साहित्य की मार्गदर्शिका:** तिमाही अंतःसंस्थान प्रकाशन, जो 175 से भी अधिक चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- **करेंट जागरूकता बुलेटिन:** तिमाही अंतः संस्थान प्रकाशन, जो एनआरडीआरसीएलआई में श्रम सूचना केंद्र में संग्रहीत संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- **आर्टिकल अलर्ट सेवा:** साप्ताहिक प्रकाशन, जिसमें चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे महत्त्वपूर्ण लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की जाती है।
- **वर्तमान विषय–वस्तु सेवा:** यह मासिक प्रकाशन है। यह अंशदान दिए गए जर्नलों के विषय–वस्तु वाले पृष्ठों का संकलन है।
- **आर्टिकल अलर्ट:** यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है।

4. विशिष्टीकृत संसाधन केंद्र का रखरखाव

पुस्तकालय भवन में निम्नलिखित तीन विशिष्टीकृत संसाधन केद्रों का सृजन किया गया है और संदर्भ सेवाओं के लिए उनका रखरखाव किया जाता है:

i) राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
ii) राष्ट्रीय लैंगिक अध्ययन संसाधन केंद्र
iii) एचआईवी/एड्स पर राष्ट्रीय संसाधन केंद्र

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनी उपबंधों तथा विभिन्न संवैधानिक उपबंधों को लागू करने के लिए वर्ष 1983 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था और बाद में दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक काम में राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित तथा सामयिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों के माध्यम से परिणामों का प्रचार करने के संबंध में संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करने के लिए 'हिन्दी सेल' का गठन किया गया।

राजाभषा कार्यान्वयन समिति

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस वर्ष के दौरान भी काम करती रही। समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में क्रमशः 29.06.2015, 14.09.2015, 30.12.2015 और 31.03.2016 को नियमित रूप से आयोजित की गई थीं। इन बैठकों के दौरान राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में महत्तवपूर्ण निर्णय लिए गए और तदनुसार लागू किए गए।

हिन्दी कार्यशाला

संस्थान ने, अनुवाद पर आश्रित रहने के बजाए हिन्दी में मूल रूप से काम करने में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित कीं। कार्यशालाएं 12.06.2015, 09.09.2015, 30.11.2015 और 04.03.2016 को आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पणी और आलेखन तैयार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशालाओं में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को, भारत सरकार की राजभाषा नीति, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, राजभाशा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों और अपने प्रतिदिन के काम में प्रतिभागियों द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के बारे में भी बताया गया।

इसके अतिरिक्त, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए संस्थान द्वारा 21 दिसम्बर 2015 को हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 26 सदस्य कार्यालयों के 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

तिमाही रिपोर्ट

सभी चारों तिमाहियों, अर्थात 31 मार्च 2015, 30 जून 2015, 30 सितम्बर 2015 और 31 दिसम्बर 2015 को समाप्त तिमाहियों से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों को नियमित आधार पर राजभाषा विभाग की वेबसाइट में अपलोड किया गया था।

हिन्दी पखवाड़ा

संस्थान में हिन्दी पखवाड़ा 14 सितम्बर 2015 से 28 सितम्बर 2015 तक आयोजित किया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें निबंध एवं पत्र लेखन, सुलेख एवं श्रुतलेख, टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी काव्य पाठ, हिन्दी टंकण अथवा हिन्दी वर्तनी एवं वर्ग पहेली प्रतियोगिता, राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता तथा त्वरित भाषण प्रतियोगिता शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरस्कार जीते। 28.09.2015 को समापन सत्र को संस्थान के वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो ने संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने पुरस्कार वितरित किए।

प्रकाशन

विभिन्न श्रम संबंधी सूचनाओं का सामान्य तौर पर और संस्थान की अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का खासतौर पर प्रचार.प्रसार करने के लिए वीवीजीएनएलआई का एक गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान जर्नल, अनियमित प्रकाशन, पुस्तकें और रिपोर्टें निकालता है।

जर्नल/पत्र–पत्रिकाएं

लेबर एण्ड डेवलपमेंट

लेबर एण्ड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है। यह पत्रिका सैद्धांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य परीक्षणों के माध्यम से श्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। यह जर्नल श्रम संबंधी अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले प्रेक्टिशनरों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

अवाड्र्स डाइजेस्ट

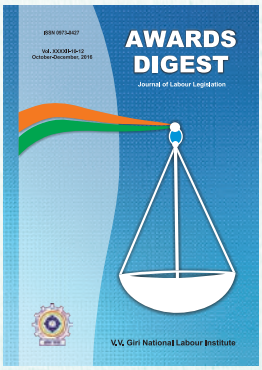

अवाड्र्स डाइजेस्ट एक तिमाही पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय दिए जाते हैं। इसमें लेख, श्रम कानूनों के संशोधन और अन्य संबंधित सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के माध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

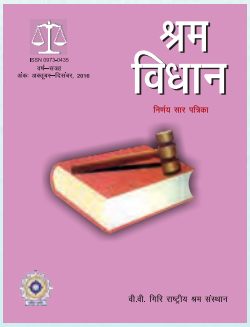

श्रम विधान एक तिमाही हिन्दी पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इस पत्रिका में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय रिपोर्ट किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक

विवादों के मध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

इंद्रधनुष

संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला यह एक द्विमासिक न्यूजलेटर है जिसमें संस्थान की अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, कार्यशाला, सेमिनार आदि विविध गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। इस न्यूजलेटर में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न घटनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इसमें संस्थान के दौरों पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के प्रोफाईल के साथ ही फैकल्टी और अधिकारियों की शैक्षिक गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला जाता है।

चाइल्ड होप

चाइल्ड होप संस्थान का तिमाही न्यूजलेटर है। यह समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाकर, इस दिशा में अपने प्रयासों को गति प्रदान करते हुए बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक मुख्य मार्ग तैयार करने के लिए निकाला जा रहा है।

एन.एल.आई. अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला

संस्थान अपने अनुसंधानिक निष्कर्षों को प्रसारित करने के एनएलआई अनुसंध. ान अध्ययन श्रृंखला शीर्षक वाली एक श्रृंखला का प्रकाशन भी कर रहा है। अभी तक संस्थान ने इस श्रृंखला में 116 अनुसंधान निष्कर्षों को प्रकाशित किया है। 2015–16 में प्रकाशित अनुसंधान अध्ययन में निम्न शामिल हैं:

113/2014 कार्य और पारिवारिक जीवन का सामंजस्यः महिलाओं के समय उपयोग पैटर्नों, अवैतनिक कार्य एवं कार्यसथल नीतियां – एलीना सामंतराय

114/2014 श्रम प्रशासन का निष्पादनः बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनयम, 1986 के तहत दायर किए गए मामलों का महत्वपूर्ण विश्लेषण – डॉ. हेलन आर. सेकर, एस. सी. श्रीवास्तव एवं पंकज कुमार

115/2014 कार्य और रोजगार में लैंगिक आयामः यौन उत्पीड़न का मामला – डॉ. शशि बाला

116/2014 पूर्वोत्तर भारत में महिलाएं एवं उद्यमिता: मणिपुर में हथकरघा एक उद्यम के रूप में – ओतोजीत क्षेत्रिमयूम

सामयिक प्रकाशन

संस्थान अपने अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हस्तक्षेपों के आधार पर सामयिक प्रकाशन भी निकालता है। 2016–17 के दौरान प्रकाशित प्रमुख प्रकाशनों में निम्न शामिल हैं:

- ऑर्गनाइजिंग रूरल लेबर: प्रोसेस एंड एक्सपीरिअंसेस (वॉल्यूम 1 एंड 2)
- बाल श्रम को समझना
- बाल श्रम और विधायी ढांचा
- बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अभिसरण
- बाल श्रम और स्वास्थ्य जोखिम
- खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिक: बूचड़खानों और संबद्ध व्यवसायों का मामला
- शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में बाल श्रमिक: नौएडा में कूड़ा बीनने वालों का अध्ययन
- मुरादाबाद के पीतल बर्तन उद्योग में बाल श्रमिकों की मांग पर प्रौद्योगिकीय परिवर्तन का प्रभाव
- जबरन मजदूर: यातायात बत्तियों पर बच्चों का एक अध्ययन
- भारतीय श्रम पुस्तिका (हिंदी और अंग्रेजी में)

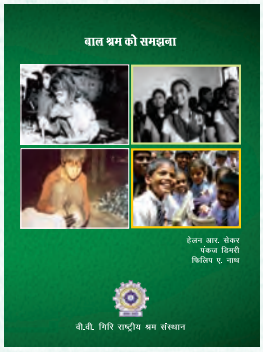

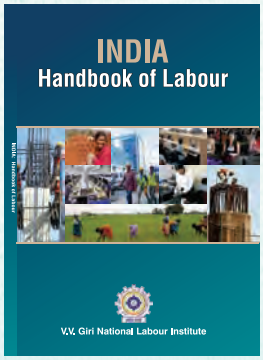

कर्मचारियों की संख्या (31.03.2016 को)

समूह	स्वीकृत संख्या	पदस्थ
महानिदेशक	01	01
संकाय सदस्य	15	13
समूह क	05	03
समूह ख	08	04
समूह ग	31	16
समूह घ	25	20
योग	**85**	**57**

फैकल्टी

संस्थान की फैकल्टी में विविध विषयों, जिनमें अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, श्रम कानून, सांख्यिकी, लोक प्रशासन आदि शामिल हैं, के प्रतिनिधि रखे गए हैं। इस विविधता से अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा को अंतर्विषयक आधार मिलता है। फैकल्टी सदस्यों और अधिकारियों की सूची निम्नलिखित है:

संस्थान की फैकल्टी

	मनीष कुमार गुप्ता, एम. टेक, आई.ए.एस.	महानिदेशक
1.	एस. के. शशिकुमार, एम.ए. पीएच.डी.	वरिष्ठ फेलो
2.	पूनम एस. चौहान, एम.ए., पीएच.डी.	वरिष्ठ फेलो
3.	हेलन आर. सेकर, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	वरिष्ठ फेलो
4.	संजय उपाध्याय, एल.एल.एम., पीएच.डी	फेलो
5.	रूमा घोष, एम.ए., एम.फिल. पीएच.डी.	फेलो
6.	अनूप के. सतपथी, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	फेलो
7.	शशि बाला, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	फेलो
8.	किंगशुक सरकार, एम.ए., पीएच.डी.	फेलो
9.	राखी थिमोथी, एम.फिल., पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो
10.	प्रियदर्शन अमिताभ खुंटिआ, एम.ए., एम.फिल.	एसोसिएट फेलो
11.	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एम.ए., एम.फिल.	एसोसिएट फेलो
12.	एलीना सामंतराय, एम.फिल., पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो
13.	एम. बी. धन्या, एम.ए, पीएच.डी	एसोसिएट फेलो

अधिकारी

1.	जे. के. कौल, डीबीए. पीजीडीटीडी	प्रशासन अधिकारी
2.	हर्ष सिंह रावत, एम.बी.ए. (वित्त), एआईसीडब्ल्यूए	लेखा अधिकारी
3.	वी. के. शर्मा	सहायक प्रशासन अधिकारी
4.	एस. के. वर्मा, एम.एससी., एम.एल.आई.एससी.	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी

लेखापरीक्षा रिपोर्ट
एवं
लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा
2015–16

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की पैरा–वार टिप्पणी

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा पैरा	संस्थान का जवाब
(क)	तुलन पत्र	
(क.1)	**पूँजीगत निधि ₹6.71 करोड़**	
	विभिन्न परियोजनाओं में शेष बची ₹39.22 लाख की राशि को 'चालू देयताएं' के तहत दिखाने की जगह पूँजीगत निधि में अंतरित किया गया था। इस प्रकार, 'चालू देयताएं' में ₹39.22 लाख कम और 'पूँजीगत निधि' में ₹39.22 लाख अधिक दर्शाये गये।	जारी परियोजनाएं पूरी कर ली गयी थीं और इसके तहत अन्य कोई कार्यकलाप शेष नहीं था। चूँकि संस्थान से वित्तपोषक एजेंसी को संतोषजनक परिणाम दे दिया गया था, इसलिए शेष राशि को संसथान की आय समझा गया एवं पूँजीगत निधि मे अंतरित किया गया। इसे देखते हुए पैरा को छोड़ दिया जाए।
(क.2)	**अचल परिसंपत्तियां ₹7.71 करोड़**	
	पत्र/पत्रिकाओं की खरीद पर किये गये ₹18.11 लाख के व्यय को पूँजीकृत करने की बजाय राजस्व व्यय के तौर पर दर्शाया गया था। इससे 'अचल परिसंपत्तियां' में ₹18.11 लाख कम और 'व्यय' में ₹18.11 लाख अधिक दर्शाये गये तथा तदनुसार मूल्यह्रास भी कम किया गया था।	आयकर नियमावली के अनुसार पत्र/पत्रिकाएं का उपयोग आम तौर पर एक वर्ष के अंदर कर लिया जाता है और ये 100 प्रतिशत मूल्यह्रास के तहत आते हैं। इसलिए इस पैरा को छोड़ दिया जाए।
(क.3)	**चालू परिसंपत्तियां**	
	संस्थान ने पोस्ट ऑफिस को प्रदत्त ₹0.50 लाख डाक व्यय खाते में जमा किये थे जबकि पोस्ट ऑफिस ने 31 मार्च 2016 तक फ्रैंकिंग मशीन को चार्ज नहीं किया था। इस प्रकार, इस राशि को डाक व्यय खाते में जमा की जगह अग्रिम के तौर पर दिखाया जाना था। इससे 'अग्रिम' में ₹0.50 लाख कम और 'डाक व्यय खाता' में ₹0.50 लाख अधिक दर्शाये गये।	₹0.50 लाख का भुगतान आदेश मार्च में तैयार कर पोस्ट ऑफिस में जमा किया गया था। इसलिए इस राशि को संस्थान के खाते से घटाकर डाक व्यय खाते में जमा किया गया था। पोस्ट ऑफिस में प्रक्रियागत होने के कारण इस राशि को पोस्ट ऑफिस द्वारा फ्रैंकिंग मशीन के खाते में बाद में जमा किया गया जबकि संस्थान ने उपयुक्ततः संबंधित खाते में इसका इंदराज किया था। उपरोक्त को देखते हुए इस पैरा को छोड़ दिया जाए।

(ख)	**आय एवं व्यय लेखा**	
	सेमिनार एवं प्रशासनिक खंडों के नवीकरण एवं उन्नयन और कंप्यूटर हेतु कें.लो.नि.विभाग को दिये गये ₹294.68 लाख के अग्रिमों को अग्रिम की जगह व्यय के तौर पर दर्शाया गया तथा 'अनुसूची 17: योजनागत अनुदानों पर व्यय–अवसंरचना' के तहत बुक किया गया था। इससे व्यय, घाटा और अग्रिम में ₹294.68 लाख अधिक दर्शाये गये।	₹294.68 लाख कें.लो.नि.विभाग को सेमिनार एवं प्रशासनिक खंडों के नवीकरण एवं उन्नयन हेतु दिये गये थे। यह अवसंरचना शीर्ष के तहत योजनागत अनुदान था। इसे सामान्य लेखा प्रक्रिया के अनुसार तुलन पत्र में देयताएं के तहत चालू परिसंपत्तियों के तहत व्यय, घाटा और अग्रिम में दर्शाया गया था। इसलिए इस पैरा को छोड़ दिया जाए।
(ग)	**लेखों पर टिप्पणियां**	
	संस्थान ने 'उद्दिष्ट निधियां' से अप्रयुक्त अनुदान की ₹119.81 लाख की राशि को 'चालू देयताएं' में अंतरित किया था जिसके लिए 'लेखों पर टिप्पणियां' के तहत स्पष्टीकरण–कारण नहीं दिया गया था।	अप्रयुक्त अनुदान की ₹119.81 लाख की राशि वर्ष 2013–14 से थी। चूँकि यह राशि वर्ष 2013–14 में ईएसआईसी के लिए उद्दिष्ट थी अतः इसे उद्दिष्ट निधि के तहत दर्शाया गया। ईएसआईसी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण लेने के बाद इस वर्ष इस राशि को उपयुक्ततः 'चालू देयताएं' मे दर्शाया गया है। इसलिए इस पैरा को छोड़ दिया जाए।
(घ)	**सामान्य**	
	संस्थान ने 'मूल्यह्रास आरक्षित निधि' का सृजन किया था परंतु तुलन पत्र में इसे 'विकास निधि' के तौर पर दर्शाया गया था। इसे अलग से दर्शाया जाना चाहिए।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
(ङ)	**सहायता अनुदान**	
	संस्थान ने वर्ष 2015–16 के दौरान ₹10.08 करोड़ (₹6.37 करोड़ का योजनागत एवं ₹3.71 करोड़ का गैर–योजनागत) का सहायता–अनुदान प्राप्त किया तथा ₹3.70 करोड़ की आय आंतरिक स्रोतों से अर्जित की। इसमें ₹1.80 करोड़ का अधिशेष मिलाने पर कुल राशि ₹15.58 करोड़ हुई। संस्थान ने 31 मार्च 2016 तक ₹14.67 करोड़ का उपयोग किया तथा ₹0.91 करोड़ का अंत शेष रहा।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

संस्थान के उपरोक्त स्पष्टीकरणों को देखते हुए उठायी गयी आपत्तियों को छोड़ देने का अनुरोध है क्योंकि इनमें निधियों का दुर्विनियोजन नहीं है।

अनुबंध

क्रम सं.	टिप्पणी	जवाब
1.	**आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** संस्थान की वर्ष 2015–16 की आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार द्वारा की गई।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियां पायी गयीं: • पूरी की गयी परियोजनाओं में बची शेष राशि को वित्त–पोषण करनेवाली एजेंसी की अनुमति के बगैर दूसरी परयिोजनाओं अथवा पूंजीगत निधि में अंतरित करना। • पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के स्पष्टीकरण की अनुचित प्रणालीए जैसाकि टिप्पणी संख्या क. 2 एवं ख में उल्लेख किया गया है।	जवाब पैरा क. 1 में दिया गया है। जवाब पैरा क. 2 और ख में दिया गया है।
3.	**अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली** अचल परिसंपत्तियों का वर्ष 2015–16 में प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
4.	**वस्तु–सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली** वस्तु–सूची का वर्ष 2015–16 में प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
5.	**सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता** संस्थान सांविधिक देयताओं का नियमित भुगतान करता है तथा 31 मार्च 2016 तक कोई भी बकाया 6 माह की अवधि से अधिक समय तक देय नहीं था।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने, नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत 31 मार्च 2016 को यथास्थिति, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (संस्थान) के संलग्न तुलन–पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। यह लेखा–परीक्षा 2017–18 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां है। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) और दक्षता व कार्य–निष्पादन संबंधी पहलुओं, यदि कोई हों, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी की सूचना, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

3. हमने, भारत में आमतौर पर अपनाये गये लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की, एक परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल हैं। लेखापरीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करने के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा उचित तथ्यों पर आधारित है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:

i. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विष्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं;

ii. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रपत्र पर बनाये गये हैं;

iii. हमारी राय में, जहां तक ऐसी लेखाबहियों की जांच से पता चलता है, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा लेखों की उचित लेखाबहियां और अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे गए हैं।

iv. हम आगे सूचित करते हैं कि:

(क) तुलन–पत्र

(क.1) पूँजीगत निधि ₹6.71 करोड़

विभिन्न परियोजनाओं में शेष बची ₹39.22 लाख की राशि को 'चालू देयताएं' के तहत दिखाने की जगह पूँजीगत निधि में अंतरित किया गया था। इस प्रकार, 'चालू देयताएं' में ₹39.22 लाख कम और 'पूँजीगत निधि' में ₹39.22 लाख अधिक दर्शाये गये।

(क.2) अचल परिसंपत्तियां

पत्र/पत्रिकाओं की खरीद पर किये गये ₹18.11 लाख के व्यय को पूँजीकृत करने की बजाय राजस्व व्यय के तौर पर दर्शाया गया था। इससे 'अचल परिसंपत्तियां' में ₹18.11 लाख कम और 'व्यय' में ₹18.11 लाख अधिक दर्शाये गये तथा तदनुसार मूल्यह्रास भी कम किया गया था।

(क.3) चालू परिसंपत्तियां

संस्थान ने पोस्ट ऑफिस को प्रदत्त ₹0.50 लाख डाक व्यय खाते में जमा किये थे जबकि पोस्ट ऑफिस ने 31 मार्च 2016 तक फ्रैंकिंग मशीन को चार्ज नहीं किया था। इस प्रकार, इस राशि को डाक व्यय खाते में जमा की जगह अग्रिम के तौर पर दिखाया जाना था। इससे 'अग्रिम' में ₹0.50 लाख कम और 'डाक व्यय खाता' में ₹0.50 लाख अधिक दर्शाये गये।

(ख) आय एवं व्यय लेखा

सेमिनार एवं प्रशासनिक खंडों के नवीकरण एवं उन्नयन और कंप्यूटर हेतु कें.लो.नि.विभाग को दिये गये ₹294.68 लाख के अग्रिमों को अग्रिम की जगह व्यय के तौर पर दर्शाया गया तथा 'अनुसूची 17: योजनागत अनुदानों पर व्यय–अवसंरचना' के तहत बुक किया गया था। इससे व्यय, घाटा और अग्रिम में ₹294.68 लाख अधिक दर्शाये गये।

(ग) लेखों पर टिप्पणियां

संस्थान ने 'उद्दिष्ट निधियां' से अप्रयुक्त अनुदान की ₹119.81 लाख की राशि को 'चालू देयताएं' में अंतरित किया था जिसके लिए 'लेखों पर टिप्पणियां' के तहत स्पष्टीकरण–कारण नहीं दिया गया था।

(घ) सामान्य

संस्थान ने 'मूल्यह्रास आरक्षित निधि' का सृजन किया था परंतु तुलन पत्र में इसे 'विकास निधि' के तौर पर दर्शाया गया था। इसे अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

(ङ) सहायता अनुदान

संस्थान ने वर्ष 2015–16 के दौरान ₹10.08 करोड़ (₹6.37 करोड़ का योजनागत एवं ₹3.71 करोड़ का गैर–योजनागतं) का सहायता–अनुदान प्राप्त किया तथा ₹3.70 करोड़ की आय आंतरिक स्रोतों से अर्जित की। इसमें ₹1.80 करोड़ का अधिशेष मिलाने पर कुल राशि ₹15.58

करोड़ हुई। संस्थान ने 31 मार्च 2016 तक ₹14.67 करोड़ का उपयोग किया तथा ₹0.91 करोड़ का अंत शेष रहा।

v. पिछले पैराग्राफों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखे, लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों तथा अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की शर्त के अधीन उक्त वित्तीय विवरण निम्नलिखित के संबंध में, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं:

अ. जहां तक यह 31 मार्च 2016 को यथास्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (गौतम बुद्ध नगर) के कार्य के तुलन–पत्र से संबंधित है; और

ब. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा.परीक्षक की ओर से

स्थानः लखनऊ

दिनांकः 03.01.2017

ह./

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (सेन्ट्रल)

अनुबंध

1. आन्तरिक लेखा परीक्षा की पर्याप्तता

संस्थान की वर्ष 2015–16 की आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र सनदी लेखाकार द्वारा की गयी।

2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियां पायी गयीं:

पूरी की गयी परियोजनाओं में बची शेष राशि को वित्त–पोषण करनेवाली एजेंसी की अनुमति के बगैर दूसरी परयिोजनाओं अथवा पूंजीगत निधि में अंतरित करना।

पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के स्पष्टीकरण की अनुचित प्रणाली, जैसाकि टिप्पणी संख्या क. 2 एवं ख में उल्लेख किया गया है।

3. अचल परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

अचल परिसंपत्तियों का वर्ष 2015–16 में प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।

4. वस्तु–सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वस्तु–सूची का वर्ष 2015–16 में प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

संस्थान सांविधिक देयताओं का नियमित भुगतान करता है तथा 31 मार्च 2016 तक कोई भी बकाया 6 माह की अवधि से अधिक समय तक देय नहीं था। ।

ह./
उप–लेखापरीक्षा निदेशक (सेन्ट्रल)

कृष्ण कुमार चनानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
5/1, क्लाइव रो, तृतीय तल, कमरा सं. 78, कोलकाता – 700001
दूरभाषः 033–22302096/22309315

सेवा में,
महानिदेशक,
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2015–16)

हमने 31 मार्च 2016 को यथा स्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संलग्न तुलन.पत्र, आय एवं व्यय लेखा और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों और भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों, जो वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन की सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी में ऐसे आंतरिक नियंत्रण, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतीकरणों के संगत हों और निष्पादन की सही एवं उचित तस्वीर पेश करते हों तथा सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हों, चाहे उसका कारण धोखाधड़ी हो अथवा त्रुटि, को तैयार करना, लागू करना एवं उसका अनुरक्षण करना है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विविरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में, परीक्षण आधार पर जांच करना, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकट नें शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में, इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के सबंध में उचित आधार प्रदान करती है।

हमारी राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों तथा अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की शर्त के अधीन उक्त वित्तीय विवरण निम्नलिखित के संबंध में, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं।

क) जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2016 को यथास्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के कार्य के तुलन–पत्र से संबंधित है और,

ख) जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2016 को यथास्थिति संस्थान संस्थान की आय से अधिक खर्चों के आय एवं व्यय लेखे संबंधित है और,

ग) जहां तक यह उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा भुगतान के प्राप्ति तथा भुगतान लेखा से संबंधित हैं।

हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं।

हमारी राय में इन बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है कि संस्थान ने कानूनी रूप से जरूरी लेखा बहियां उचित ढंग से तैयार की हुई हैं।

हमारी राय में इस रिपोर्ट के साथ तैयार तुलन.पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

कृष्ण कुमार चनानी
साझेदार कृष्ण कुमार चनानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 322232 ई
सदस्यता सं. 056045
स्थानरू नई दिल्ली
दिनांकः 31 मई 2016

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2016 को यथास्थिति तुलनपत्र

देयताएं	अनु.	31.03.2016 के अनुसार आंकड़े	31.03.2015 के अनुसार आंकड़े
पूँजीगत निधि	1	67,098,519.20	63,871,906.64
विकास निधि	2	89,367,949.81	78,286,139.24
आरक्षित एवं अधिशेष	3	12,191,128.59	13,322,744.40
उद्दिष्ट निधि	4	65,677,993.00	54,029,908.00
चालू देयताएं एवं प्रावधान	5	58,882,656.50	59,936,190.50
योग		**293,218,247.10**	**269,446,888.78**
परिसंपत्तियाँ			
अचल परिसंपत्तियाँ (निबल ब्लॉक)	6	77,085,842.00	79,477,089.00
निवेशः उद्दिष्ट निधि	7	95,960,181.04	96,594,690.47
चालू परिसंपत्तियाँः ऋण एवं अग्रिम	8	120,172,224.06	93,375,109.31
योग		**293,218,247.10**	**269,446,888.78**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ, आकस्मिक देयताएं एवं लेखों की टिप्पणियाँ — 18

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हस्ताक्षरित

कृतेः कृष्ण कुमार चनानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 322232 ई)

ह./	ह./	ह./	ह./
कृष्ण कुमार चनानी	हर्ष सिंह रावत	जे. के. कौल	मनीष कुमार गुप्ता
साझेदार (सद. सं. 056045)	लेखा अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	महानिदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 31/05/2016

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

ब्यौरे	अनु.	31.03.2016 के अनुसार आंकड़े	31.03.2015 के अनुसार आंकड़े
आय			
सहायता अनुदान	9	112,265,930.00	78,594,916.00
फीस एवं अंशदान	10	20,590,970.00	22,825,463.00
अर्जित ब्याज	11	3,015,596.42	707,305.00
अन्य आय	12	13,245,022.00	13,744,109.07
पूर्व अवधि आय	13	108,683.00	240,560.00
जोड़ (क)		**149,226,201.42**	**116,112,353.07**
व्यय			
स्थापना व्यय	14	45,379,280.00	46,368,490.50
प्रशासनिक व्यय	15	22,851,944.79	18,222,294.00
पूर्व अवधि व्यय	16	245,425.00	538,195.00
योजनागत अनुदान एवं सहायिकियों पर व्यय	17	75,165,814.00	47,094,916.00
जोड़ (ख)		**143,642,463.79**	**112,223,895.50**
मूल्यह्रास से पूर्व व्यय से अधिक आय (क–ख)		5,583,737.63	3,888,457.57
घटायें:			
मूल्यह्रास	6	12,050,054.00	12,366,327.00
शेष, जिसे घाटे के कारण पूंजी निधि में ले जाया गया		(6,466,316.37)	(8,477,869.43)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ, आकस्मिक देयताएं एवं लेखों की टिप्पणियाँ 18

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
हस्ताक्षरित
कृतेः कृष्ण कुमार चनानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 322232 ई)

ह./	ह./	ह./	ह./
कृष्ण कुमार चनानी	**हर्ष सिंह रावत**	**जे. के. कौल**	**मनीष कुमार गुप्ता**
साझेदार (सद. सं. 056045)	**लेखा अधिकारी**	**प्रशासन अधिकारी**	**महानिदेशक**

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 31/05/2016

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

पिछला वर्ष	प्राप्तियाँ	राशि (रुपये)	पिछला वर्ष	भुगतान	राशि (रुपये)
31-03-2015		31-03-2016	31-03-2015		31-03-2016
	आदि शेष			**व्यय**	
14,197.95	हस्तगत रोकड़	9,209.95	41,313,919.00	स्थापना व्यय	43,462,836.37
	बैंक में शेष		18,491,245.00	प्रशासनिक व्यय	22,277,133.79
27,633,763.70	चालू खाता	22,449,144.87	47,322,165.00	योजनागत अनुदान का उपयोग	73,833,259.00
6,747,550.60	बचत खाता परियोजना	7,152,207.17	538,195.00	पूर्व अवधि व्यय	245,425.00
268,173.05	बचत खाता – आईओबी	279,007.05			
68,908.27	बचत खाता–कॉर्पोरेशन बैंक	74,369.27	982,389.00	अचल परिसंपत्तियाँ	3,977,326.00
63,902,343.24	खाते में जमा–विकास निधि	78,286,139.24			
	खाते में जमा–उद्दिष्ट निधि	11,980,949.00			
3,010,673.00	ग्रेच्युटी खाता–1130025	5,226,203.00	1,388,922.00	विभिन्न परियोजनाओं के लिए	10,175,799.41
1,820,591.00	छुट्टी का नकदीकरण–1130026	2,898,889.00	1,765,845	निधि से की गई अदायगियाँ	7,723,259.00
24,121.00	हस्तगत डाकटिकट	51,219.00			
	ईएमडी एवं जमा प्रतिभूति	2,642,070.00			
			630,320.00	स्टाफ को अग्रिम	595,366.00
	प्राप्त अनुदान		513,961.00	विभागीय अग्रिम	568,022.00
94,000,000.00	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से	100,800,000.00			
1,203,497.10	अन्य एजेंसियों से	8,121,892.00		**अन्य भुगतान**	
1,002,220.00	अन्य परियोजनाओं से प्राप्तियाँ	11,238,211.90	220,628.00	जमा प्रतिभूति की वापसी	952,483.00
	प्राप्त ब्याज				
6,706,661.00	विकास निधि	7,193,353.57		**अंतशेष**	
33,270.00	वाहन अग्रिम	18,508.00	9209.95	हस्तगत रोकड़	21075.95
674,035.00	बचत खाता	2,997,088.42		**बैंक में शेष**	
351,355.57	ब्याजः परियोजना लेखा	220,340.00	22,449,144.87	चालू खाता	829,429.01
21,314,683.00	**फीस/अंशदान**	20,422,519.00	279,007.05	बचत खाता – आईओबी	290,279.05
13,744,109.07	**अन्य आय**	13,245,022.00	74,369.27	बचत खाता – कार्पोरेशन बैंक	80,138.27
240,560.00	**पूर्व अवधि आय**	108,683.00	5,226,203.00	ग्रेच्युटी खाता–1130025	6,273,577.82
662,319.00	विभागीय अग्रिम	569,060.00	2898889.00	छुट्टी का नकदीकरण–1130026	5012390.38
	अग्रिमों की वसूली		51,219.00	हस्तगत डाक टिकट	57535.00
714,287.00	स्टाफ से	751,090.00	78,286,139.24	जमाः विकास निधि	89,367,949.81
			11,980,949.00	जमा–उद्दिष्ट निधि	-
	अन्य प्राप्तियाँ		7,152,207.17	बचत खाता – परियोजना	5,598,897.36
	आयकर वापसी	744,800.00	2,642,070.00	ईएमडी और जमा प्रतिभूति	2,681,798.41
			-	कार्पोरेशन बैंक – फ्लेक्सी बचत खाता 150025	24,244,435.81
79,678.00	जमा प्रतिभूति	788,441.00			
244,216,996.55	**जोड़**	**298,268,416.44**	**244,216,996.55**	**जोड़**	**298,268,416.44**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए उन्हें पुनः वर्गीकृत किया गया है

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ,
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों की टिप्पणियाँ 18

कृतेः कृष्ण कुमार चनानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 322232 ई)

ह./	ह./	ह./	ह./
कृष्ण कुमार चनानी	**हर्ष सिंह रावत**	**जे. के. कौल**	**मनीष कुमार गुप्ता**
साझेदार (सद. सं. 056045)	**लेखा अधिकारी**	**प्रशासन अधिकारी**	**महानिदेशक**

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 31/05/2016

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

अनुसूची 1–पूँजी निधि

		31.03.2016 के अनुसार आंकड़े		31.03.2015 के अनुसार आंकड़े
वर्ष के आरम्भ में शेष		63,871,906.64		78,554,287.07
जोड़ें: विकास निधि में अंतरण		(3,888,457.57)		(7,637,694.00)
जोड़ें: पूंजी निधि में अंशदान				
योजनागत अनुदानों से	8,683,131.00		937,504.00	
गैर–योजनागत अनुदानों से	975,676.00		495,679.00	
बाह्य परियोजनाओं से	3,922,579.50	13,581,386.50	-	1,433,183.00
आय से अधिक व्यय		(6,466,316.37)		(8,477,869.43)
जोड़		**67,098,519.20**		**63,871,906.64**

अनुसूची 2 – विकास निधि

वर्ष के आरम्भ में शेष		78,286,139.24		63,902,343.24
वर्ष के दौरान परिवर्धन		3888457.57		7637694.00
जोड़ें: बैंक एफडीआर पर ब्याज		7,186,513.00		6,739,464.00
जोड़ें: बचत खाते पर ब्याज		6,840.00		6,638.00
जोड़		**89,367,949.81**		**78,286,139.24**

अनुसूची 3 – आरक्षित एवं अधिशेष

परिक्रामी निधि				
(क) परिक्रामी एचबीए निधि				
वर्ष के आरम्भ में शेष		5,682,738.93		5,266,961.93
जोड़ें: बैंक (एसबी, एफडीआर) से प्राप्त ब्याज		310,882.00		312,638.00
जोड़ें: एचबीए पर स्टाफ से प्राप्त ब्याज		95,517.00		103,139.00
जोड़ (क)		**6,089,137.93**		**5,682,738.93**

	31.03.2016 के अनुसार आंकड़े	31.03.2015 के अनुसार आंकड़े
(ख) परिक्रामी कंप्यूटर निधि		
वर्ष के आरम्भ में शेष	487,798.30	463,043.30
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज	18,406.00	18,094.00
जोड़ें: स्टाफ से उपार्जित ब्याज	2,731.00	661.00
जोड़ें: स्टाफ से वसूला गया ब्याज		6,000.00
जोड़ें: पिछले वर्ष समायोजित	(5,842.00)	-
जोड़ (ख)	**503,093.30**	**487,798.30**

(ग) परियोजना निधि		
वर्ष के आरम्भ में शेष	7,152,207.17	6,747,550.60
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	8,406,924.90	1,002,220.00
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज	220,340.00	351,355.57
घटायें: वर्ष के दौरान हुए व्यय, यदि कोई हो	(10,180,574.71)	(948,919.00)
जोड़ (ग)	**5,598,897.36**	**7,152,207.17**
जोड़ (क+ख+ग)	**12,191,128.59**	**13,322,744.40**

अनुसूची 4 – उद्दिष्ट निधि (चल रहा कार्य)

वर्ष के आरम्भ में शेष	54,029,908.00	41,891,894.00
जोड़ें ढांचागत कार्य के लिए योजनागत अनुदान (आगे ले जाया गया)	-	11,980,949.00
जोड़ें: एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	-	157,065.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान अग्रिम (पूंजीगत) की राशि	17,329,566.00	-
जोड़ें: (घटाएं) वर्ष के दौरान अग्रिम की राशि	(5,681,481.00)	
जोड़	**65,677,993.00**	**54,029,908.00**

अनुसूची 5 – चालू देयताएं एवं प्रावधान

क – चालू देयताएं		
ईएमडी और जमा प्रतिभूति	2,373,731.00	2,619,008.00
सहायता अनुदान (पिछले वर्ष अप्रयुक्त)	11,980,949.00	14,467,580.00
विविध कर्जदारों सहित बकाया देयताएं	2,289,870.00	2,507,777.00
जोड़ (क)	**16,644,550.00**	**19,594,365.00**
ख – प्रावधान		
सेवानिवृत्ति पर देय सांविधिक देयताएं	42,238,106.50	40,341,825.50
जोड़ (ख)	**42,238,106.50**	**40,341,825.50**
जोड़ (क+ख)	**58,882,656.50**	**59,936,190.50**

अनुसूची 6 – अचल परिसंपत्तियाँ

विवरण	मूल्यह्रास की दर	4/1/2015 को घटता मान	परिवर्धन		वर्ष के दौरान हटाए	31.03.16 को जोड	मूल्यह्रास की राशि	31.03.16 को घटता मान
			03.10.15 तक	03.10.15 के बाद				
भूमि*	0%	-	-	-	-	-	-	-
भवन	10%	63,792,203	5,681,481	-	-	69,473,684	6,947,368	62,526,316
फर्नीचर व फिटिंग्स	10%	4,034,244	-	-	-	4,034,244	403,424	3,630,820
उपकरण	15%	8,005,856	53,579	214,753	-	8,274,188	1,225,022	7,049,166
वाहन	15%	515,034	-	-	-	515,034	77,255	437,779
पुस्तकालय की पुस्तकें	60%	2,061,074	39,642	60,936	-	2,161,652	1,278,710	882,942
अमूर्त आस्तियां (एमएस ऑफिस)	25%	13,081	171,639	78,475	-	263,195	55,989	207,206
कंप्यूटर	60%	281,318	2,566,208	792,094	-	3,639,620	1,946,144	1,693,476
सूचना प्रौद्योगिकी	15%	774,279	-	-	-	774,279	116,142	658,137
		79,477,089	**8,512,549**	**1,146,258**	**-**	**89,135,896**	**12,050,054**	**77,085,842**

* भूमि को राज्य सरकार द्वारा 1981 में केंद्र सरकार को दान में दिया गया था, इसलिए इसमें लागत शामिल नहीं है।

अनुसूची 7 – निवेश : उद्दिष्ट निधियाँ

	31.03.2016 के अनुसार आंकड़े	31.03.2015 के अनुसार आंकड़े
क. विकास निधि		
सावधि जमा खाते	86,733,547.00	74,229,594.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	2,560,105.00	3,989,088.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज (टीडीएस भाग)	60,819.00	60,819.00
इंडियन ओवरसीज बैंकः एस.बी. खाता	13,478.81	6,638.24
जोड (क)	**89,367,949.81**	**78,286,139.24**
ख. परिक्रामी एचबीए निधि		
इंडियन ओवरसीज बैंकः एफडीआर	3,771,360.00	3,471,059.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	1,346.00	-
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज (टीडीएस भाग)	11,880.00	11,880.00
इंडियन ओवरसीज बैंकः एसबी खाता	390,262.93	167,685.93
स्टाफ को एचबीए अग्रिम	1,914,289.00	2,032,114.00
जोड़ (ख)	**6,089,137.93**	**5,682,738.93**

	31.03.2016 के अनुसार आंकड़े	31.03.2015 के अनुसार आंकड़े
ग. परिक्रामी कंप्यूटर निधि		
इंडियन ओवरसीज बैंकः एसबी खाता	469,093.30	470,187.30
स्टाफ को कंप्यूटर अग्रिम	34,000.00	17,611.00
जोड़ (ग)	**503,093.30**	**487,798.30**
घ. उद्दिष्ट निधि		
कार्पोरेशन बैंकः एफडीआर	-	11,980,949.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	-	157,065.00
जोड़ (घ)	**-**	**12,138,014.00**
जोड़ (क+ख+ग+घ)	**95,960,181.04**	**96,594,690.47**

अनुसूची 8 – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

अ. चालू परिसंपत्तियाँ		
क. नकदी एवं बैंक में शेष		
हस्तगत नकदी	21,075.95	9,209.95
बैंक में शेषः		
इंडियन ओवरसीज बैंक में चालू खातों में	829,429.01	22,449,144.87
कार्पोरेशन बैंकः एसबी फ्लेक्सी खाता	24,244,435.81	-
इंडियन ओवरसीज बैंकः एसबी खाता	290,279.05	279,007.05
कार्पोरेशन बैंकः एसबी खाता	80,138.27	74,369.27
ग्रेच्युटी खाता – 1130025	6,273,577.82	5,226,203.00
छुट्टी का नकदीकरण – 1130026	5,012,390.38	2,898,889.00
ईएमडी और जमा प्रतिभूति – 1150006	2,681,798.41	2,642,070.00
डाक टिकट खाता	57,535.00	51,219.00
जोड़ (क)	**39,490,659.70**	**33,630,112.14**

अनुसूची 8 – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

ख. परियोजना निधि	31.03.2015 के अनुसार आंकड़े	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	बैंक ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय	बैंक प्रभार	31.03.2016 के अनुसार आंकड़े
आईओबी में एसबी खाता						
एनआरसीसीएल खाता–4475	715,551.46	2,720,170.90	47,444.00	722,400.00	-	2,760,766.36
एफसीएनआर खाता–10500	874,229.00	-	26,953.00	556,434.00	-	344,748.00
आईएलओ इंडस बा.श्र.प.12726	18,028.00	-	437.00	18,465.00	-	-
आईएलओ.एचआईवी/एड्स की रोकथाम (पार्ट-IV) 12813	170,429.00	-	4,255.00	174,684.00	-	-
श्र.एवं रो.मं. एनसीएलपी का मूल्यांकन – 13004	422,898.00	-	10,531.00	433,429.00	-	-
श्र.एवं रो.मं..1396सरकारी आईटीआई का उन्नयन –14518	561,578.00	-	14,020.00	575,598.00	-	-
यूएनडीपीः दक्षिण एशिया में महिला प्रवासी कामगार–14517	75,947.00	-	1,896.00	77,843.00	-	-
श्र.एवं.रो.मं. प्रबंधन समीक्षा समीक्षा वीटीआईपी विश्व बैंक – 14684	520,948.00	-	13,005.00	533,953.00	-	-
रोजगार पर लोगों के लिए रिपोर्ट – 14685	627,424.00	-	15,664.00	643,088.00	-	-
यूनीसेफ बाल श्रम डाटा विश्लेषण–50721	-	1,125,000.00	16,524.00	643,944.00	-	497,580.00
यूनीसेफ बाल श्रम पर अनुक्रिया–50722	-	3,161,754.00	20,087.00	1,187,229.00	30.00	1,994,582.00
कार्पोरेशन बैंक, एसबी खाता						
आईएलओ अभिसरण–120004	1,583,122.21	700,000.00	-	2,278,488.91	4,633.30	0.00
वीवीजीएनएलआई परामर्शी प. 4099	306,207.00		7,819.00	314,026.00		-
वीवीजीएनएलआई कर्मचारी क. निधि 4098	1,174.00	-	47.00	-		1,221.00
ग्रा.वि.मं.–भारत में ग्रामीण कामगार – 120003	581,099.50	-	21,403.00	602,502.50		-
आ.एवं श.ग. उ. मं.–शहरी गरीबी उपशमन – 2663	40,340.00	-	1,030.00	41,370.00		-
आईएलओ ज्ञान केंद्र – 4548	653,232.00	700,000.00	19,225.00	1,372,345.00	112.00	-
जोड़ (ख)	**7,152,207.17**	**8,406,924.90**	**220,340.00**	**10,175,799.41**	**4,775.30**	**5,598,897.36**
जोड़(अ) (क+ख)	**40,782,319.31**					**45,089,557.06**

ब. ऋण एवं अग्रिम

	31.03.2015 के अनुसार आंकड़े	वर्ष के दौरान दिए गए अग्रिम	वर्ष के दौरान वसूली/समायोजन	31.03.2016 के अनुसार आंकड़े
क. स्टाफ को				
त्यौहार अग्रिम	61,425.00	117,000.00	119,850.00	58,575.00
कार अग्रिम	356,348.00	12,632.00	109,731.00	259,249.00
स्कूटर अग्रिम	121,832.00	5,876.00	72,451.00	55,257.00
एलटीसी अग्रिम	-	459,858.00	449,058.00	10,800.00
जोड़ (क)	**539,605.00**	**595,366.00**	**751,090.00**	**383,881.00**

अनुसूची 8 – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (पूर्वपृष्ठ से जारी...)

ख. बाहरी ऐजेंसियों को				
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम –योजनागत 1996–97	926,516	-	926,516	-
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम –योजनागत 1998–99	238,693	-	238,693	-
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम –योजनागत 1999–2000	100,000	-	100,000	-
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम –योजनागत 2000–01	3,376,213	-	2,888,522	487,691
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम –योजनागत 2005–06	3,755,713	-	-	3,755,713
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम –योजनागत 2009–10	1,527,750	-	1,527,750	-
ईएसआईसी को अग्रिम –योजनागत 2010–11	14,142,712	-	-	14,142,712
ईएसआईसी को अग्रिम –योजनागत 2011–12	17,824,297	-	-	17,824,297
यूपीपीसीएल को अग्रिम –2015–16	-	29,467,580	-	29,467,580
जोड़ (ख)	**41,891,894**	**29,467,580**	**5,681,481**	**65,677,993**

	31.03.2016 के अनुसार आंकड़े	**31.03.2015 के अनुसार आंकड़े**
ग. अन्य अग्रिम		
बाहरी एजेंसियों को अग्रिम	286,504.00	824,350.00
व्यय (प्राप्ति): विविध बाहरी ऐजेंसियों की परियोजनाएं	113,878.00	587,103.00
स्रोत पर कर की कटौती	2,692,372.00	2,268,700.00
विभागीय अग्रिम (एन.पी.)	1,000.00	1,000.00
विभागीय अग्रिम (पी.)	7,664.00	8,702.00
प्राप्य बिल	4,489,516.00	5,041,244.00
पूर्वदत्त खर्चे	1,429,859.00	1,430,192.00
जोड़ (ग)	**9,020,793.00**	**10,161,291.00**
जोड़ (अ+ब)	**120,172,224.06**	**93,375,109.31**

अनुसूची 9 – सहायता अनुदान

	31.03.2016 के अनुसार आंकड़े	31.03.2015 के अनुसार आंकड़े
गैर–योजनागत	37,100,000.00	31,500,000.00
भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से		
योजनागत		
भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)	56,200,000.00	56,200,000.00
भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) एन.ई.	7,500,000.00	6,300,000.00
जोड़	**100,800,000.00**	**94,000,000.00**
घटाएं: अनुदान (वर्ष के दौरान अप्रयुक्त)	14,467,580.00	-
घटाएं: पूंजीकृत सहायता अनुदान	-	14,467,580.00
	3,001,650.00	937,504.00
आय और व्यय खातों में दर्शायी गयीं राशियाँ	**11,465,930.00**	**15,405,084.00**
	112,265,930.00	**78,594,916.00**

अनुसूची 10 – फीस एवं अभिदान

शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क	20,421,330.00	22,712,808.00
अवार्ड्स डाइजेस्ट अभिदान	54,895.00	31,120.00
लेबर एंड डेवलपमेंट अभिदान	53,000.00	33,875.00
श्रम कानून.शब्दावली की बिक्री से प्राप्तियाँ	30,000.00	29,000.00
श्रम विधान अभिदान	27,640.00	12,100.00
अन्य प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्तियाँ	4,105.00	6,560.00
	20,590,970.00	**22,825,463.00**

अनुसूची 11 – अर्जित ब्याज

स्कूटर/वाहन अग्रिम पर ब्याज	18,508.00	33,270.00
प्राप्त ब्याज	2,997,088.42	674,035.00
	3,015,596.42	**707,305.00**

अनुसूची 12 – अन्य आय

गैर–योजनागत आय	4,252,549.00	3,970,654.00
हॉस्टल के उपयोग से आय	8,156,907.00	8,995,400.00
निविदा फार्मों की बिक्री	49,250.00	39,850.00
फोटोस्टेट से आय	574,131.00	613,176.00
अप्रयोज्य मदों की बिक्री	47,020.00	-
स्टाफ क्वार्टरों से किराया.लाइसेंस शुल्क	118,705.00	112,320.00
अन्य प्राप्तियाँ	21,460.00	1,773.00
फैकल्टी परामर्श प्रभार	-	10,936.07
परिसर के उपयोग से आय	25,000.00	-
जोड़	**13,245,022.00**	**13,744,109.07**

अनुसूची 13 – पूर्व अवधि आय

	31.03.2016 के अनुसार आंकड़े	31.03.2015 के अनुसार आंकड़े
पूर्व अवधि आय	108,683.00	240,560.00
	108,683.00	**240,560.00**

अनुसूची 14 – स्थापना व्यय

स्टाफ को वेतन	34,586,461.00	33,854,710.00
भत्ते एवं बोनस	2,940,266.00	3,036,928.00
एनपीएफ में अंशदान	2,837,868.00	2,855,183.00
कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर व्यय एवं सेवांत्त लाभ	4,843,384.00	6,139,531.50
प्रतिनियुक्ति स्टाफ का छुट्टी वेतन एवं पेंशन	171,301.00	482,138.00
जोड़	**45,379,280.00**	**46,368,490.50**

अनुसूची 15 – प्रशासनिक व्यय

विज्ञापन एवं प्रचार	246,240.00	162,280.00
भवन मरम्मत और उन्नयन	1,880,964.00	706,573.00
विद्युत एवं पॉवर प्रभार	5,284,878.00	4,076,853.00
हिंदी प्रोत्साहन व्यय	199,204.00	188,826.00
बीमा	89,218.00	117,572.00
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	9,750.00	9,750.00
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	301,289.00	216,864.00
विविध व्यय	38,684.79	72,090.00
प्रदत्त प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय	10,073,082.00	9,789,277.00
फोटोस्टेट व्यय	283,517.00	385,493.00
डाक टिकट, तार और संचार प्रभार	70,418.00	104,592.00
मुद्रण और लेखन सामग्री	380,621.00	415,547.00
नई परिसंपत्तियों की खरीद	975,676.00	44,885.00
मरम्मत एवं रखरखाव		
क. कंप्यूटर	36,792.00	26,050.00
ख. कूलर/ए.सी	329,020.00	159,475.00
ग. कार्यालय भवन और संबद्ध	815,464.00	109,463.00
स्टाफ कल्याण व्यय	246,461.00	137,544.00
टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट प्रभार	518,546.00	372,301.00
यात्रा एवं वाहन भत्ता संबंधी खर्चे	389,634.00	403,201.00
वाहन चालन एवं रखरखाव संबंधी खर्चे	364,907.00	394,011.00
जल प्रभार	317,579.00	329,647.00
आय और व्यय लेखों में अंतरित धनराशियां	**22,851,944.79**	**18,222,294.00**
पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत	975,676.00	44,885.00
जोड़	**21,876,268.79**	**18,177,409.00**

अनुसूची 16 – पूर्व अवधि व्यय

	31.03.2016 के अनुसार आंकड़े	31.03.2015 के अनुसार आंकड़े
पूर्व अवधि व्यय	245,425.00	538,195.00
	245,425.00	**538,195.00**

अनुसूची 17 – योजनागत अनुदानों पर व्यय

क. अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण		
अनुसंधान परियोजनाएं, कार्यशाला और प्रकाशन	8,142,049.00	10,152,060.00
शिक्षण कार्यक्रम	12,338,884.00	14,518,365.00
ग्रामीण कार्यक्रम	4,015,457.00	2,625,232.00
सूचना प्रौद्योगिकी	1,819,558.00	666,792.00
परिसर सेवाएं	12,972,443.00	10,846,028.00
जोड़ (क)	**39,288,391.00**	**38,808,477.00**
ख. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम/परियोजनाएं		
शिक्षण कार्यक्रम	5,589,742.00	5,453,463.00
परियोजनाएं जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी/अवसंरचना/प्रकाशन शामिल हैं)	1,910,307.00	860,695.00
जोड़ (ख)	**7,500,049.00**	**6,314,158.00**
ग. पुस्तकालय सुविधाओं को बढ़ाना		
पत्र–पत्रिकाओं का अभिदान	1,810,536.00	2,112,538.00
पुस्तकें	100,578.00	659,056.00
पुस्तकालय का विस्तार/आधुनिकीकरण	330.00	138,191.00
जोड़ (ग)	**1,911,444.00**	**2,909,785.00**
घ. अवसंरचना		
सेमिनार खंड : नवीकरण एवं उन्नयन	17,540,810.00	-
प्रशासनिक खंड : नवीकरण एवं उन्नयन	8,687,068.00	
एनआईसीएसआई – नेटवर्किंग	3,239,702.00	
जोड़ (घ)	**29,467,580.00**	**-**
योजनागत अनुदानों पर कुल व्यय (क से घ)	**78,167,464.00**	**48,032,420.00**
घटाएं: पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत	3,001,650.00	937,504.00
	3,001,650.00	937,504.00
आय व्यय खातों में रकम का अंतरण	**75,165,814.00**	**47,094,916.00**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

अनुसूची सं. 18 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. वित्तीय औचित्य के मानक

हर स्तर पर वित्तीय आदेश एवं सख्त अर्थव्यवस्था को लागू करने के क्रम में सभी संगत वित्तीय मानकों का, जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जैसे स्वायत्त संस्था के लिए निर्धारित हैं, पालन किया जाता है।

2. वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय अन्यत्र बतायी गई और अनुप्रयोज्य लेखाकरण मानकों पर आधारित सीमा के। संस्थान के वित्तीय विवरणों में आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा एवं तुलनपत्र शामिल हैं।

3. अचल परिसम्पत्तियां

अचल परिसम्पतियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान की भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान किया गया था और इसलिए इसे तुलनपत्र में शून्य मूल्य पर दर्शाया गया है।

4. मूल्यह्रास

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को निम्नलिखित दरों के अनुसार ह्रासित मूल्य विधि पर किया जाता है।

परिसम्पत्तियों की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर
भवन	10%
फर्नीचर एवं जुड़नार	10%
कार्यालय उपकरण	15%
वाहन	15%
सूचना प्रौद्योगिकी (वेबसाइट)	15%
पुस्तकालय की पुस्तकें	60%
अमूर्त आस्तियां (एमएस ऑफिस)	25%
कम्प्यूटर एवं सहायक यंत्र	60%

5. पूर्व अवधि समायोजन

01.04.2010 से लेखाकरण प्रणाली के नकदी लेखाकर प्रणाली से प्रोद्भूत लेखाकरण प्रणाली में बदलाव के कारण पूर्व अवधि समायोजनों के प्रभाव को संस्थान के अंतिम लेखा में अलग से दर्शाया गया है।

6. वस्तु सूचियाँ

वस्तु सूचियों, जिनमें वर्ष के दौरान खरीदी गई लेखनसामग्री/विविध स्टोर मदें शामिल हैं, को राजस्व लेखा में प्रभारित किया गया है।

7. कर्मचारी हितलाभ

संस्थान ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुसार फरवरी 2012 से भारत सरकार की नई पेंशन योजना को चुना है।

ख. लेखाओं पर टिप्पणियां

1. लेखांकन का आधार

31.03.2010 को समाप्त वर्ष तक संस्थान जो एक गैर–लाभ वाला संगठन है, के लेखों को नकदी आधार पर तैयार किया जाता था। मंत्रालय से प्राप्त की गई सभी अनुदान राशि और आंतरिक रूप से कमाई गई धनराशि को उन्हीं प्रयोजनों हेतु खर्च किया गया, जिनके लिए इन्हें प्राप्त किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2010–11 से संस्थान के लेखे प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जा रहे हैं और इनमें निम्न को छोड़कर तदुनसार प्रावधान किए गए हैं;

क. केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को देय वेतनों एवं भत्तों को प्रदत्त आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ख. खरीदी गई लेखन सामग्री एवं अन्य मदों को नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2. सहायता अनुदान

संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्रति वर्ष सहायता अनुदान (योजनागत एवं गैर.योजनागत) प्राप्त करता है और उपयोजन प्रमाणपत्र हर वर्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

3. पूंजी एवं राजस्व लेखा

पूंजी स्वरूप के व्यय को सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों अथवा सरकार द्वारा निर्धारित विशेष आदेश के अनुसार हमेशा राजस्व व्यय से अलग रखा जाता है।

4. विविध देनदार और विविध लेनदार

संस्थान, व्यावसायिक कार्यकलाप एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, जिन्हें अन्य संस्थानों, मंत्रालय एवं विभाग आदि द्वारा प्रायोजित किया जाता है और ऐसी एजेंसियों की ओर से व्यय प्राप्त करता है। इन एजेंसियों से अग्रिमों अथवा ऊपर उल्लिखित कार्यकलापों के संबंध में व्यय की प्रतिपूर्ति को प्राप्तियां अथवा भुगतान-बाहरी कार्यक्रम अथवा एजेंसी शीर्ष के तहत दर्शाया जा रहा है।

5. अचल परिसम्पत्तियां एवं मूल्यह्रास

क. अचल परिसम्पतियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान ह्रासित मूल्य आधार पर लेखाकरण नीतियों (उपरोक्त) के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दरों पर निर्धारित मूल्यह्रास प्रदान कर रहा है और मूल्यह्रास को लेखाकरण वर्ष के दौरान अचल सम्पत्तियों के परिवर्धन और/अथवा विलोपन को समंजित करने के बाद अथवा डब्ल्यू.डी.वी. पर प्रभारित किया जाता है।

ख. मूल्यह्रास को उन परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के आधे दरों पर प्रभारित किया गया है, जिन्हें वर्ष के दौरान 180 से कम दिनों के लिए इस्तेमाल किया गया था। 10,000 रुपये से कम लागत वाली परिसम्पत्तियों को राजस्व लेखा में प्रभारित किया जाता है।

6. परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

संस्थान की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है और परिसम्पत्तियों का अस्तित्व इस प्रयोजन हेतु निर्धारित समिति द्वारा प्रमाणित होता है।

7. सरकारी धन का रुकना

संस्थान ने कार्यकारी इंजीनियर के.लो.नि.वि., नौएडा मण्डल को संस्थान में विभिन्न सिविल कार्यों एवं इलैक्ट्रिकल कार्यों आदि के निर्माण/नवीकरण हेतु 1996–.97 से 2009–10 तक के वर्षों के दौरान अग्रिम के रूप में 99,24,885.00 रुपए की राशि अग्रिम में दी थी। उक्त अग्रिम में से 56,81,481 रुपए का उपयोग कर लिया गया है इसे भवन में पूंजीकृत किया गया है। शेष राशि का उपयोग अभी भी के.लो.नि.वि. से प्रतीक्षित है। संस्थान को के.लो.नि.वि. से यह अग्रिम वसूल करने की सलाह दी जाती है।

8. संस्थान ने चालू वर्ष के दौरान 31.03.2016 तक की अवधि तक उपदान एवं देय अर्जित अवकाश का प्रोद्भूत आधार पर प्रावधान किया है क्योंकि पिछले वर्षों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

विवरण	31.03.2016 तक प्रावधान	31.03.2015 तक प्रावधान
उपदान	2,39,63,334.50	2,06,46,113.50
अर्जित अवकाश	1,82,74,772.00	1,71,68,418.00
	4,22,38,106.50	**4,03,41,825.50**

9. आयकर विवरणी

संस्थान ने 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय की विवरणी दायर की थी।

संस्थान ने संदर्भाधीन वर्ष के दौरान अपनी तिमाही टीडीएस विवरणी दायर की थी।

10. आगे ले जाया गया अधिशेष

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संस्थान को योजनागत एवं गैर योजनागत कार्यकलापों के लिए स्वीकृत अनुदानों को राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाते के माध्यम से प्रचालित किया जाता है और उसी वर्ष में इनका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है, जिस वर्ष में इसे स्वीकृत किया जाता है। परिणामतः संस्थान के पास अगले वर्ष हेतु आगे ले जाने के लिए कोई अधिशेष नहीं है। तथापि, संस्थान के कार्यों के लिए उद्दिष्ट निधि, जो वर्ष के अंत तक पूरी तरह खर्च नहीं की गयी थी, को अगले वर्ष हेतु आगे ले जाया जा रहा है।

11. आकस्मिक देयताएं

संस्थान की आयकर अधिनियम, 1961 के टीडीएस उपबंध के तहत ब्याज एवं अर्थदंड के संबंध में 2,50,082.00 रुपये की आकस्मिक देयता है। मामला आयकर आयुक्त (अपील) गाजियाबाद के समक्ष अपील में लंबित है।

12. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी उन्हें तुलनीय बनाने के लिए आवश्यक समझा गया है, पुनः वर्गीकृत/समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

अनुसूचियां 1 से 18 हस्ताक्षरित

कृतेः कृष्ण कुमार चनानी एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार (एफआरएन 322232 ई)

ह./	ह./	ह./	ह./
कृष्ण कुमार चनानी	**हर्ष सिंह रावत**	**जे. के. कौल**	**मनीष कुमार गुप्ता**
साझेदार (सद. सं. 056045)	**लेखा अधिकारी**	**प्रशासन अधिकारी**	**महानिदेशक**

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 31/05/2016

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर 24, नौएडा–201 301
उत्तर प्रदेश (भारत)
वेबसाइट : **www.vvgnli.gov.in**